कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62 अंक : 11 पृष्ठ : 52 सितंबर 2016 मूल्यः ₹22

ग्रामीण विकास के लिए पहल

लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधनः मुख्य अंश

- आजादी के इस पावन पर्व पर सवा सौ करोड़ देशवासियों को, विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को लालकिले की प्राचीर से बहुत–बहुत शुभकामनाएं। आजादी का यह पर्व, 70वां वर्ष एक नया संकल्प, नई उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है।
- आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्ष्याधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। अब स्वराज्य (सेल्फ–गर्वनेंस) को सुराज्य (गुड–गर्वनेंस) में बदलना, ये सवा सौ करोड़ देशवासियों का संकल्प है।
- पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर लोकतांत्रिक संस्था को सुराज्य (सुशासन) की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा। हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना होगा, गति को और आगे बढ़ाना होगा।
- ग्रामीण सड़क की रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 70–75 किमी. से 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारा बल है। पवन ऊर्जा में पिछले एक साल के भीतर–भीतर हमने करीब 40 प्रतिशत वृद्धि की।
- सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं था; हमने 21 करोड़ लोगों को जनधन से जोड़कर असंभव को संभव किया।
- हिन्दुस्तान के गांवों में दो करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 70 हजार से अधिक गांव आज खुले में शौच जाने की परम्परा से मुक्त हो चुके हैं। उन 18 हजार गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची थी; उनमें से दस हजार गांवों में आज बिजली पहुंच गई है।
- 13 करोड़ एलईडी बल्ब बंट चुके हैं; 77 करोड़ बल्ब बांटने का संकल्प है। इससे 20 हजार मेगावाट बिजली बचेगी, मतलब करीब–करीब सवा लाख करोड़ रुपये बचेंगे।
- हमने जमीन की सेहत पर ध्यान दिया। हमने सॉयल हेल्थ कार्ड और जल प्रबंधन पर बल दिया है।
- हमने जल प्रबंधन, जल सींचन और जल संरक्षण पर बल दिया है। प्रति बूंद अधिक फसल, लघु सिंचाई पर हम बल दे रहे हैं। 90 से ज्यादा सिंचाई की योजनाएं आधी–अधूरी ठप्प पड़ी थीं, हमने बीड़ा उठाया है सबसे पहले उन योजनाओं को पूरा करेंगे; 77 हजार सोलर पंप अब तक बांटे गए हैं।
- हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 131 से ज्यादा नए कृषि के योग्य बीज तैयार किए हैं। हम खाद की कमी दूर करने और सबसे ज्यादा खाद उत्पादन करने में सफल हुए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहली बार कम से कम प्रीमियम से अधिक से अधिक, वो भी गारंटी के साथ फसल बीमा देने का काम किया जा रहा है।
- 15 लाख टन अन्न संरक्षण के लिए नए गोदामों का निर्माण। फूड प्रोसेसिंग में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन।
- योजनाओं को अटकाना, योजनाओं में देरी होना, रुपये की बर्बादी होना एक प्रकार से क्रिमिनल नेगलिजेंस है और उसे हमने पार करने का प्रयास किया है।
- गन्ना किसान का हजारों करोड़ रुपये का बकाया था, करीब–करीब 95 प्रतिशत किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया।
- 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का चूल्हा तीन साल में पहुंचाने का बीड़ा। करीब 50 लाख परिवारों को पिछले 100 दिन के अंदर कनेक्शन दिया।
- पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में बदलने की दिशा में कदम उठाया गया। एक साथ देश के गांवों तक बैंकों का जाल बिछेगा, जन–धन अकाउंट का लाभ मिलेगा और मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा सीधे खाते में जा रहा है। आधार व्यवस्था के तहत हमने सारे बिचौलियों को बाहर किया।
- मुद्रा योजना का लाभ साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा परिवारों ने लिया। उसमें अधिकतम नए लोग थे जो बैंक के दरवाजे पर पहुंचे। उसमें भी करीब 80 प्रतिशत एससी, एसटी, ओबीसी के थे और मुद्रा बैंक में ऋण लेने वाली 80 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- प्रसूति के बाद छुट्टी 26 हफ्ते कर दी गई है ताकि मां अपने बच्चे का लालन–पालन कर सके।
- हमने किसानों के लिए ई–नैम योजना शुरु की है। आज किसान अपना माल ऑन लाइन हिंदुस्तान की किसी भी मंडी में बेच सकता है।
- किसी गरीब परिवार को आरोग्य की सेवाओं का लाभ लेना है, तो वर्ष में एक लाख रुपये तक का खर्च भारत सरकार उठाएगी।
- एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक दिशा, एक मंजिल इस बात को ले करके हम आगे बढ़े।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 62★ मासिक अंक : 11★ पृष्ठ : 52 ★भाद्रपद–आश्विन 1938★सितम्बर 2016

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना

सज्जा
बिनोद कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

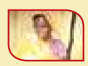
गांवों की समृद्धि के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव — नरेश चंद्र सक्सेना — 5

गांवों में बेहतर हो रही हैं आधारभूत सुविधाएं — संजय झा — 11

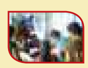
पंचायती आज़ादी की शासकीय पहल — डॉ. विनीत तिवारी — 15

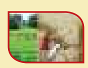
बढ़े भंडार, किसान बनें खुशहाल — नितिन प्रधान — 20

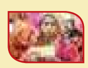
स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — शिशिर सिन्हा — 23

किसानों के लिए नई पहल — हरवीर सिंह — 27

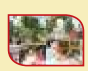
ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु उठाए गए कदम — प्रभांशु ओझा — 31

रुर्बन मिशन: प्रावधान एवं कार्यात्मक चुनौतियां — डॉ. महीपाल — 35

सांसद आदर्श ग्राम योजना — विश्वदीप सिंह — 40

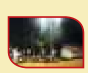
जगमग होगा हर एक गांव — सविता कुमारी — 44

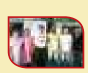
अंगुल मॉडल : खुले में शौच मुक्त गांव बनाने की अनूठी पहल — -शुभम वर्मा — 48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। 'कुरुक्षेत्र' पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

जब 'ग्रामीण विकास' की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य गांवों के संपूर्ण विकास से होता है यानी सभी ग्रामीणों को शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार के पर्याप्त साधन एवं अवसर उपलब्ध कराए जाएं। शैक्षिक और आर्थिक अवसरों के साथ–साथ सामाजिक न्याय भी किसी भी देश या समाज के विकास का अभिन्न हिस्सा है। 15 अगस्त 2016 को हमारी आजादी के सात दशक पूरे हो गए। इसमें संदेह नहीं है कि सात दशकों के इस सफर में गांवों का विकास तो हुआ है लेकिन विकास की रफ्तार धीमी रही है। गांवों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की स्थापना का निर्णय गांवों के विकास की दिशा में पहला बड़ा कदम था। तत्पश्चात जब पंचायतों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई (कई राज्यों में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है) यह गांवों के विकास की ओर दूसरा बड़ा कदम था। वर्तमान सरकार ने पंचायतों को आर्थिक आजादी देने की एक बड़ी पहल की हैं, जोकि गांवों की स्वायत्तता की ओर तीसरा बड़ा कदम है।

वित्तवर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के खाते में 2.87 लाख करोड़ रुपये का बजट आबंटित किया गया है। इस आबंटन की विशेषता यह है कि यह किसी एक निर्धारित काम के लिए नहीं है। आबंटित धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचेगी। पंचायत और ग्रामसभा मिलकर तय करेंगे कि उस धनराशि को ग्रामीण विकास के किस काम के लिए खर्च किया जाए। उस काम की योजना एवं कार्ययोजना भी गांव को ही बनानी है। खास बात यह है कि ग्रामसभा की मंजूरी के बिना न तो योजना मंजूर मानी जाएगी और न ही ग्राम पंचायत आबंटित धन को खर्च हेतु जारी कर सकेगी। क्रियान्वयन की जवाबदेही भी ग्राम पंचायत और ग्रामसभा को मिलकर उठानी होगी। स्पष्ट तौर पर यह आबंटन ग्रामसभाओं और पंचायतों को एक जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयार व बाध्य दोनों करता है। आप कह सकते हैं कि यदि यह कदम पूरी ईमानदारी के साथ जमीन पर उतारा जा सका तो यह भारत के गांवों का ढांचागत खाका बदलने में मददगार होगा। इस निर्णय से आजादी के 70 वें साल में ग्रामीणों को स्वयं निर्णय लेने की आजादी तथा खुद के लिए निर्णयों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के साथ–साथ उनकी जवाबदेही भी तय की गई है। यहां यह तथ्य भी बेहद महत्वपूर्ण है कि उक्त आबंटन की महत्ता को देखते हुए भारत एवं राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे अपने इस आबंटन और इसकी मंशा को व्यापक प्रचार दें ताकि आबंटन पर व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। अन्यथा यह 'पहल' बेहतर की बजाय ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट और पंचायत चुनावों को अधिक आपराधिक एवं खर्चीला बनाने वाली साबित होगी।

ई–गर्वनेंस योजना यूं तो वर्ष 2006 से लागू है लेकिन इसने रफ्तार अब पकड़नी शुरू की है। सरकार के डिजिटल इंडिया के सपने में गांव और पंचायतें पहले स्थान पर हैं। ई–पंचायत मोड परियोजना का उद्देश्य भारत की 2.45 लाख पंचायतों को ई–चालित कर पंचायती राज कार्यप्रणाली को ज्यादा सक्षम और पारदर्शी बनाना है। इसके लिए ई–मास्टर प्रशिक्षक भी तैयार किए जा रहे हैं।

किसान हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते दो साल में खेती से जुड़ी सरकारी नीतियों में काफी परिवर्तन आया है। सूखे से लेकर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसान को मुआवजा देने के नियमों को बदला गया है तो बैंकों से मिलने वाले कर्ज के नियमों को आसान बनाने की भी सरकार ने पहल की।यही नहीं सरकार ने इस बार किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपाय करने के साथ–साथ फसल को सही समय पर और उचित दामों में बेचने के लिए भी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ई–मंडी की शुरुआत इसी दिशा में एक कदम है। कृषि लागत घटाने की दिशा में भी सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके तहत देश के 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जैविक खेती को प्रोत्साहन, नीम कोटेड यूरिया, उन्नत प्रजाति के बीज एवं रोपण सामग्री और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी आकर्षक योजनाओं के साथ खेती के लिए रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है, वह है फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर करके नई फसल बीमा योजना की शुरुआत। इस योजना में सरकार ने फसल बीमा को मौजूदा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार किसानों की आय को भी 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और इसी के चलते कृषि सम्बद्ध उद्योगों– बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन जैसे उद्यमों में भारतीय कृषि कौशल परिषद द्वारा कौशल्य ट्रेनिंग दी जा रही है। फलों और सब्जियों की बर्बादी कम से कम हो, इसके लिए कोल्ड चेन परियोजना का निर्माण किया गया है और पिछले दो वर्षों में करीब साढ़े चार सौ परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

भारत की 65 प्रतिशत युवा आबादी के कौशल विकास के लिए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाई गई है तो वही युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन देने हेतु मुद्रा बैंक, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाए लाई गई हैं। महिला ई–हाट के जरिए स्वयंसहायता समूह बनाकर महिलाएं अपने उत्पाद बनाकर बेचती हैं। सवा लाख महिलाएं और 10 हजार स्वयंसहायता समूहों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। आदिवासियों के लिए वनबंधु कल्याण, श्रमिकों के लिए विशिष्ट पहचान–पत्र, देश की कला और शिल्प को सहेजने के लिए 'उस्ताद' योजना कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल हैं।

संक्षेप में, ग्रामीण विकास की दिशा में हाल–फिलहाल में उठाए गए कदमों की सफलता के आकलन में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने ग्रामीणों की भोजन, आवास, रोजगार सहित सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सभी पहलुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो आने वाले दिनों में ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल देंगे।

गांवों की समृद्धि के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव

—नरेश चंद्र सक्सेना

नीतिगत सुधारों के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और समर्थन की आवश्यकता होती है किंतु सिद्धांतहीन और संरक्षण की राजनीति के चलते अच्छे कार्यक्रम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हाल-फिलहाल में कई राज्यों ने प्रशासन में सुधार और समावेशी विकास के माध्यम से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिससे अन्य राज्यों को भी सबक लेना चाहिए।

भारत में तेजी से अर्थिक प्रगति के चलते निश्चित तौर पर ग्रामीण गरीबों की संख्या कम हुई है। वर्ष 1993–94 में ग्रामीण गरीबों की संख्या कुल ग्रामीण जनसंख्या का 50 प्रतिशत थी जोकि वर्ष 2011–12 में घटकर 28 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के फासले को मिटाने में सक्षम नहीं हो सके। वर्ष 2011–12 में गांवों के मात्र 1281 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति खर्च (एमपीसीई) की तुलना में शहरों में 2402 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति खर्च था (दोनों 2011 के मूल्य के आधार पर)। इस प्रकार शहरी मासिक प्रति व्यक्ति खर्च, ग्रामीण खपत से 87 प्रतिशत ज्यादा था। लेखक ने ग्रामीण भारत को त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव इस लेख में दिए हैं।

कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव— 1990 के दशक से कृषि के संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण बिजली, पानी और उर्वरक जैसे इनपुट पर सब्सिडी के माध्यम से और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के द्वारा, सतही सिंचाई में नई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के स्थान पर वर्षा जल संचयन के द्वारा, किसानों के लिए ऋण व्यवस्था को बेहतर बनाने और नई सूखा प्रतिरोधक तकनीकें विकसित करके उत्पादन में वृद्धि करना रहा है। इस दृष्टिकोण की इक्विटी, दक्षता और निरंतरता संदेहास्पद है। पंजाब में धान और अर्धशुष्क इलाकों में गन्ने जैसी पानी की अधिक आवश्यकता वाली फसलों को उगाने की अनुमति, और तो और प्रोत्साहित किए जाने के कारण बहुत अधिक मात्रा में भूजल का दोहन करना पड़ा है और देश के 30 प्रतिशत से ज्यादा प्रखंडों में आवश्यकता से अधिक दोहन किया जा चुका है, क्योंकि वहां भूजल उपयोग की मात्रा, भूजल पुनर्भरण की मात्रा से काफी अधिक है।

पिछले कुछ सालों में सरकार की नीतियों ने कृषि को अधिक पूंजी की आवश्यकता वाला बना दिया है, जिसकी वजह से किसान

बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए आकर्षक नहीं रहे हैं। पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल की खुदाई पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है अतः किसान ट्यूबवेल की खुदाई करने के लिए साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार ले रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बहुत सी–बोरिंग नाकाम हो जाती हैं, जिसकी परिणति कर्ज के बोझ और यहां तक कि आत्महत्या में होती है।

हमें सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग के माध्यम से, वर्षासिंचित क्षेत्रों में कुशल सिंचाई प्रणालियां और जल संरक्षण रणनीतियां बनाने की आवश्यकता है।

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने संबंधी कार्यक्रमों का मुख्य बल पूर्ण सुगठित सूक्ष्म–जलसंभर के आधार पर वर्षा जल संचयन, मृदा संरक्षण, भूमि को आकार देने, चारागाह विकास, वानस्पतिक मेड़बंदी, और जल संसाधनों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों पर होना चाहिए, जिसमें खेती वाली भूमि और बिना खेती वाली दोनों शामिल होनी चाहिए। अर्ध–शुष्क क्षेत्रों में खेती को पारंपरिक फसलों पर केंद्रित खेती के स्थान पर कृषि–चारागाही–खेत वानिकी (फलों के पेड़ों, झाड़ियों, बारहमासी घास और जुगाली करने वाले छोटे पशुओं) प्रणालियों का रुख करना होगा।

यदि जनता की भागीदारी से वर्षा के जल का संचय कर लिया जाए, तो अधिक से अधिक दस साल के भीतर भारत से सूखे को मिटाया जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा दिया जाए – फल और सब्जियां, अन्य फसलों की तुलना में 4 से 10 गुना अधिक मुनाफा देती हैं, इसलिए भारत को फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों और बड़े खरीदारों के बीच संचार व्यवस्था और सीधा संपर्क बढ़ाने के लिए बेहतर व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। लेन–देन की लागत में कमी लाने, अधिक कुशल खरीद मंडियां, गुणवत्तामानक और इलेक्ट्रॉनिक आदान–प्रदान की व्यवस्थाएं तथा अनिवार्य डिलीवरी इस जरूरत को पूरा कर सकती है। इसके अलावा, सरकार को फल और सब्जियों को मंडी समिति अधिनियमों से बाहर करना चाहिए और उनकी बिक्री और खरीद को पूर्णतया मुक्त बनाना चाहिए। इससे निजी क्षेत्र भी अनुबंध खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे और प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त सामग्री की आपूर्ति के प्रति आश्वस्त होंगे।

निर्माता कंपनियां, कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) और स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) संग्रहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं जो पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति में वजन, माल का लदान करने और उतारने, अधिकृत गोदामों में माल जमा करने और किसानों को उनकी उपज का दाम देने जैसे कार्यों में शामिल किए जा सकते हैं। किसान इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन संग्रहकर्ताओं और निजी कंपनियों के लिए यह एक महान अवसर है कि वे इन कार्यों को करते हुए एक अच्छा व्यापार मॉडल विकसित करें, और इस प्रकार फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने का कार्य करें।

मनरेगा की रूपरेखा में बदलाव जरुरी – मनरेगा का अधिदेश है कि 80 प्रतिशत कार्य स्थानीय जल संरक्षण और सूखे की रोकथाम से संबंधित होना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद सृजित की गई परिसंपत्तियों की निरंतरता और उत्पादकता की कभी भी निगरानी नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम एक लघुकालिक अनुत्पादक रोजगार बनकर रह गया है, जिसमें परिसंपत्ति निर्माण या मिट्टी और जल संरक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और तो और कृषि मंत्रालय के कथन के अनुसार कृषि पर इसका प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है।

इसके अलावा, बेहतर शासित राज्यों में गरीबी के मामले कमतर होने के बावजूद वे ज्यादातर धन मुट्ठी में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2015–16 में जहां बिहार में मनरेगा पर व्यय 1,025 करोड़ रुपये था, वहीं तमिलनाडु में यह चार गुना अधिक 4633 करोड़ रुपये था, जबकि बिहार में ग्रामीण गरीबों की संख्या, तमिलनाडु में ग्रामीण गरीबों की संख्या से छह गुना अधिक है। इससे एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, जब वर्ष 2015–16 में सरकार ने मनरेगा के तहत केरल में प्रत्येक ग्रामीण गरीब पर 9045 रुपये खर्च किए, जहां गरीबी बहुत कम है, जबकि इसके विपरीत बिहार में मात्र 320 रुपये खर्च किए गए! सौभाग्य से **अप्रैल 2016 के बाद से भारत सरकार ने अनौपचारिक रूप से आवंटन नियमों में बदलाव कर दिया है, ताकि गरीब राज्यों में अधिक धनराशि खर्च की जा सके।**

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मनरेगा के धन से बनायी गई समान और नई संरचनाओं के प्रबंधन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से लोगों को शामिल करने और सामाजिक पूंजी का निर्माण करने में कई एजेंसियों की विफलता की वजह से अधिकांश परियोजनाएं निरंतरता बरकरार रख पाने में विफल रही हैं।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा सुधारा जाए – मनरेगा में स्थायी परिसंपत्तियों के अभाव के विपरीत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हर मौसम के अनुकूल सड़कों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो संपर्क, परिवहन, सरकारी सेवाओं, आजीविका, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि मूल्य, बुनियादी ढांचे, सामाजिक संपर्कों में सुधार लाने और महिलाओं के सशक्तीकरण में योगदान

देती हैं। सड़कें, ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन रेखा हैं, जो उन्हें बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं से जोड़ती हैं।

फल और सब्जियों जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को तेजी से बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है और अच्छी सड़क व्यवस्था की बदौलत ऐसी फसलों को दूसरे स्थान पर पहुंचाने से उत्पादकता और रोजगार में व्यापक वृद्धि होती है, क्योंकि इन फसलों में अनाज की तुलना में अधिक श्रम लगता है। कई मामलों में यह देखा गया कि सड़क निर्माण ने लोगों को टैम्पो, दुकानों, और अचल संपत्ति में निवेश के प्रति आकर्षित किया। इस प्रकार महज़ ग्रामीण सड़कों के कारण आय के कई नए अवसरों और लघु उद्यमों का विकास हुआ। सड़कों ने श्रमिकों को आसपास के अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बेहतर पारिश्रमिक वाली नौकरियों तक जाने में भी सहायता प्रदान की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें स्वास्थ्यकर्मियों, शिक्षकों सहित सरकारी कर्मचारियों और खेती से जुड़े श्रमिकों को बस्तियों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराती हैं, ताकि वे ग्रामीण समुदायों को सेवाएं और जानकारी प्रदान कर सकें। इन परिवर्तनों के कारण अंततः मनरेगा से अधिक समृद्धि और स्थायी रोजगार सृजित हो सकते हैं।

इसी तरह, ग्रामीण भारत में बिजली की निरंतर और सुव्यवस्थित आपूर्ति से त्वरित औद्योगीकरण और मौजूदा एमएसएमई की क्षमता के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार में केवल दस प्रतिशत ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच सकी। इस प्रकार अधिकांश घर और स्कूल जाने वाले बच्चे पूरी तरह अंधेरे में हैं। हालांकि पिछले दो सालों में आंकड़े तेजी से बदले हैं और 10 हजार से अधिक गांवों तक बिजली पहुंची है।

गैर–कृषि उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए – सरकार के साथ व्यवहार करते समय आम नागरिक को जिस कानून, संगठनों, और पद्धतियों की भूलभुलैया का सामना करना पड़ता है, उससे भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को प्रोत्साहन मिलता है। नियंत्रण–मुक्त करने का ग्रामीण भारत में लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारत में आज बिना किसी लाइसेंस के अरबों रुपये का उद्योग तो लगाया जा सकता है, लेकिन कोई किसान न तो ईंट–भट्ठा इकाई लगा सकता है, और न ही चावल शैलिंग संयंत्र स्थापित कर सकता है। और तो और अपनी निजी जमीन पर उगे पेड़ को भी नहीं काट सकता। तमिलनाडु में प्रोसोपिस(यह ज्यादातर बंजर भूमि पर होने वाली जंगली झाड़ी है, जिसे जितना काटते हैं, वह उतना ही बढ़ती है) को लकड़ी के कोयले या चारकोल में परिवर्तित करने की सरल–सी प्रक्रिया, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसे करने के लिए भी वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता है! ओडिशा में 1995 में घरों में झाड़ू रखने के लिए महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की गयी! यह हमारे कानूनों पर एक दुःखद टिप्पणी है कि अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाले अनौपचारिक क्षेत्र को ज्यादातर अवैध घोषित किया गया है और उसे कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सनक का सामना करना पड़ता है।

विनियमित मंडियों से दक्षता में सुधार की अपेक्षा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई सरकारी मंडी समितियों ने किसानों द्वारा अपनी उपज वैकल्पिक चैनलों (अर्थात् मिलों को सीधे बिक्री) के माध्यम से बेचने को अवैध बना दिया है। इस प्रकार ये मंडियां, किसानों को बेहतर कीमत पाने में सहायता प्रदान करने की बजाय, कर लगाने के तंत्र के रूप में उभरी हैं।

गेहूं और धान दोनों से दाने निकालने की वर्तमान दरें अंतरराष्ट्रीय मानकों से 10 से 30 प्रतिशत कम हैं, जिसका कारण यह है कि अकुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाले लघु क्षेत्र से कृषि प्रसंस्करण इकाइयां परहेज करती हैं। इसलिए, रोलर फ्लोर मिलों और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से लाइसेंस नियंत्रण हटा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, विशेष रूप से रेपसीड और मूंगफली प्रसंस्करण इकाइयों को एसएसआई सूची से डी–रिज़र्व करना चाहिए। कुल मिलाकर, कानूनों और नियंत्रणों ने निजी खाद्यान्न विपणन की लंबे समय तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की क्षमताओं को कमजोर करते हुए उनका दमन किया है।

भूमि का प्रति इकाई रोजगार सृजन, कृषि की तुलना में गैर–कृषि उपयोगों में अधिक है, इसलिए औद्योगिक उद्देश्यों में उपयोग में लाने के लिए भूमि का रूपांतरण सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में, ऐसे काश्तकारी कानून हैं, जो भूमि को पट्टे पर देने की अनुमति नहीं देते। महाराष्ट्र एक कदम और आगे बढ़ते हुए गैर–कृषक को कृषि भूमि बेचे जाने पर भी रोक लगाता है। दूसरा, लगभग सभी राज्यों में, तब तक कृषि भूमि को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाने का प्रावधान है, जब तक नामित प्राधिकारी से इसकी लिखित अनुमति न ली गई हो। इसमें काफी समय खर्च होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए ग्रामीण भारत में औद्योगीकरण सुगम बनाने के लिए भूमि कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि अनावश्यक नियंत्रण समाप्त

किए जाएं, सरकार के अधिकार और शक्तियां कम की जाएं, साथ ही हर स्तर पर पारदर्शिता बढ़ायी जाए।

भूमि के स्वामित्व और रोजगार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना– ग्रामीण भारत के सभी वंचित लोगों में से महिलाओं के हित, यहां तक कि सिविल सोसायटी द्वारा भी सबसे कम व्यक्त किए गए हैं। हमारे पुरुष प्रधान समाज में भूमि का स्वामित्व ज्यादातर पुरुषों के हाथों में केंद्रित है। ऐसी भूमि दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, जो विशेष रूप से महिलाओं के नाम हो। हालांकि वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए विरासत में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं, इसके बावजूद अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने इस नए कानून को गंभीरता से नहीं लिया है। न तो भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग और न ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर राज्यों से इस कानून को लागू करने के बारे में कहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों में महिला विरोधी कानून और पद्धतियां बड़े मजे से जारी हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग को राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए अभियान शुरू करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं की जमीन के स्वामित्व के अधिकार राज्यों द्वारा ठीक से दर्ज किए गए हैं और महिलाओं को इसकी सूचना दी गई है। कानून का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टरों के लिए निगरानी लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सिविल सोसायटी को पर्चे तैयार करके सांसदों को बंटवाने चाहिए, ताकि उन्हें भूमि और संपत्ति पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में चिंताएं संसद में उठाने में सक्षम बनाया जा सके।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, 15–59 आयु वर्ग वाली ग्रामीण महिलाओं की काम में भागीदारी की दर वर्ष 1983 में 34 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011–12 में केवल 26 प्रतिशत रह गई। बढ़ते मशीनीकरण के कारण ग्रामीण महिलाओं का काम छिन रहा है। किसान मशीनी राइस ट्रांसप्लांटर्स का रुख कर रहे हैं। और तो और बिहार में भी कम्बाइन हार्वेस्टर्स का प्रसार हो रहा है। इसके अलावा वन नीति के अब लकड़ी अभिमुख होने की वजह से वे लघु वन उत्पाद, जिन्हें महिलाएं एकत्र किया करती थीं, गायब हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, निर्माण, खुदरा व्यापार, और आतिथ्य क्षेत्र जैसे गैर–कृषि रोजगार के अवसर काफी हद तक पुरुषोन्मुख हैं। ये सभी गांव से कुछ दूरी पर हैं, जहां पुरुष बाइक पर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाना नहीं आता। इस प्रकार भारत में समृद्धि ने महिलाओं को अधिकारविहीन और पुरुषों पर निर्भर बना दिया है। इसलिए महिलाओं को उत्पादक रोजगार की दिशा में लगाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ गलत हाथों में पड़ने में कमी लाना – सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली खत्म कर देनी चाहिए और उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार को बाजार मूल्य पर स्टॉक बेचना चाहिए, जैसे गेहूं के लिए 20 रुपये। उपभोक्ता को एक किलो गेहूं खरीदने के लिए, पहले की तरह ही, केवल दो रुपये नकद और अपना आधार कार्ड लेकर उसके पास जाना होगा, लेकिन बाकी 18 रुपये कार्ड के माध्यम से दुकानदार को हस्तांतरित हो जाएंगे। इससे इस प्रणाली के लाभ गलत हाथों में पड़ने में काफी हद तक कमी आएगी। साथ ही उपभोक्ता के प्रति डीलर के व्यवहार में भी सुधार होगा। अब तक दुकानदार उपभोक्ताओं को नजरंदाज करते थे, क्योंकि उनकी मुख्य दिलचस्पी खुले बाजार में अनाज बेचने में होती थी। जब उन्हें बाजार मूल्य पर अनाज मिलेगा, तो वह कार्डधारक का स्वागत करने और उसे जल्द से जल्द अपनी दुकान में आने को राजी करने के लिए बाध्य हो जाएगे, ताकि सब्सिडी का हस्तांतरण हो सके।

इससे सिर्फ सही व्यक्ति को ही राशन मिलना सुनिश्चित नहीं होगा, बल्कि पात्रताधारक किसी भी एफपीएस से अपना राशन खरीदने के लिए भी मुक्त होंगे और उन्हें किसी एक विक्रेता से बंधे नहीं रहना होगा। दूसरे शब्दों में, यह पात्रता सुग्राह्यता या पोर्टेबिलिटी है, जो पात्रताधारकों को देश में कहीं भी, किसी भी डीलर के पास जाने की अनुमति देगी है तथा इससे गरीब प्रवासी मजदूरों को बहुत सहायता मिलेगी, जो अब तक अपने अधिकार का उपयोग करने में नाकाम रहे हैं। यह व्यवस्था पात्रताधारकों को वास्तविक विकल्प प्रदान करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इससे भ्रष्टाचार में भी काफी कमी आएगी।

शासन प्रणाली में सुधार जरुरी –क्लर्कों, अर्दलियों और चालकों जैसे कई सरकारी कर्मचारी हैं, जो सहायक की स्थिति में आते हैं, जिनकी इस उन्नत प्रौद्योगिकी के युग में आवश्यकता नही है और अध्यापकों, नर्सों, और पुलिसकर्मियों जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो जिम्मेदार स्थिति में हैं और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं– शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और न्यायपालिका, नियमित कर्मचारियों की कमी से जूझ रही हैं, जबकि कई प्रकोष्ठों में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है। कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रबंधन की बदलती तकनीक के मद्देनजर जिनमें से ज्यादातर की अब जरूरत

नहीं रह गई है। इसलिए अतिरिक्त कर्मियों की पहचान के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और कर्मचारिकों को फिर से तैनात किए जाने की योजना तैयार की जानी चाहिए और बाहर करने की प्रणाली उदार होनी चाहिए। क्लर्कों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक और कांस्टेबल बनने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए।

अनुपस्थिति पर नियंत्रण जरुरी – सभी मंत्रालयों/विभागों को सेवा प्रदाताओं और सेवा प्राप्त करने वाले (कक्षाओं में छात्र या सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने वाली महिलाएं), दोनों की अनुपस्थिति पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने चाहिए क्योंकि इससे सेवा की गुणवत्ता का पता चलता है। सावधानी से तैयार की गई और तकनीक द्वारा समर्थित कार्यप्रणाली के माध्यम से पुलिस स्टेशनों, स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायतों, आदि जैसी समस्त सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रदर्शन को आंका जा सकता है, यानी वे कितनी उत्तरदायी, कुशल और सहभागी हैं।

विश्व बैंक के एक अध्ययन से पता चला है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले व्यय का बड़ा हिस्सा शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन पर खर्च हो जाता है। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर अनुपस्थिति और इन सेवा प्रदाताओं की कामचोरी का आशय यह है कि बहुत से मामलों में कोई भी सेवा प्रभावी ढंग से प्रदान नहीं की जाती। इसका आशय यह है कि सरकारें इन संसाधनों का उपयोग (लक्षित करने) उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के बजाय (कम लक्षित करने योग्य) नौकरियों पर करती हैं। सेवा प्रदाताओं के लिए तो व्यवस्था मौजूद है, लेकिन सेवा के प्रावधान के लिए नहीं है। विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों सहित भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावहारिक स्तर पर अन्वेषण करने से पता चला कि शिक्षकों की अनुपस्थिति सामान्य बात है, सैम्पल स्कूलों में जांचकर्ताओं के अघोषित दौरों के समय पाया गया कि लगभग दो–तिहाई शिक्षक या तो अनुपस्थित थे या उस दौरान पढ़ा नहीं रहे थे। एक अध्ययन में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति की औसत दर 65 प्रतिशत थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में शिक्षण संबंधी गतिविधियों (अर्थात शिक्षण से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी) की औसत दर केवल 27 प्रतिशत थी।

इसी तरह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ज्यादातर राज्यों में डॉक्टरों/स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की अनुपस्थिति, अपर्याप्त पर्यवेक्षण/निगरानी और कठोर व्यवहार पाया गया। वर्ष 2009 में योजना आयोग के एक अध्ययन में पाया गया कि बिहार और राजस्थान में उप–जिला या ब्लॉक–स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में डॉक्टरों की उपलब्धता वस्तुतः 30 प्रतिशत से कम थी। तकनीक का उपयोग न केवल उपस्थिति, बल्कि कर्मचारियों के प्रदर्शन पर नजर रखने में भी किया जाना चाहिए।

धन के प्रवाह में सुधार लाया जाए– बहुत–सी राज्य सरकारें, विशेषकर गरीब राज्यों की सरकारें, न तो भारत सरकार की ओर से जारी धनराशि प्राप्त कर पाती हैं, जिसकी वे हकदार हैं और न ही उस राशि को समय पर जिलों/गांवों में जारी करने में सक्षम हो पाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को बिना दावेदारी वाली यह धनराशि बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और असम द्वारा खराब प्रदर्शन का कारण अमूमन, सभी स्तरों पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर कमी है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी पर पड़ता है। केंद्रीय धन का उपयोग करने के मामले में इन राज्यों में से बिहार का रिकॉर्ड बहुत खराब है। 1994–2005 के दौरान अकेले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में ही बिहार ने लगभग 540 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता गंवा दी थी। बिहार में कुछ साल पहले तक वेतन का भुगतान तक समय पर नहीं होता था। यूनिसेफ द्वारा 2007 में बिहार में आईसीडीएस के मूल्यांकन से पता चला कि 10 प्रतिशत से भी कम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से मानदेय प्राप्त होता था, इनमें से अधिकांश को हर महीने की जगह साल में केवल दो बार मानदेय प्राप्त होता था। यूनिसेफ द्वारा कराए गए एक अन्य अध्ययन से पता चला कि झारखंड में जमीनी स्तर पर काम करने वाले केवल 18 प्रतिशत अधिकारियों को ही समय पर वेतन मिलता था।

धन के उपयोग में सुधार लाने, कर्मचारियों के वेतन का समय पर भुगतान करने और उपयोगिता रिपोर्ट बिना किसी देरी के भारत सरकार को भेजने के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं में किस प्रकार का बदलाव लाने की आवश्यकता है, इस बारे में सुझाव देने के लिए अनुभवजन्य अध्ययनों की जरूरत है। भारत सरकार के स्वयं के अध्ययन बताते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण तक होने में महीनों लग जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के रसोइयों और सहायकों जैसे निचले स्तर के कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता। एफसीआई अनाज की आपूर्ति रोक लेता है, और कुछ राज्यों में मध्यान्ह भोजन केवल 60–70 प्रतिशत कार्यदिवसों में ही उपलब्ध हो पाता है। सर्व शिक्षा अभियान में पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति, विशेषकर दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रिक्तियां भरने, पूंजीगत कार्य, रखरखाव के लिए धन आदि में भी इसी तरह की देरी होती है।

वित्तीय प्रक्रियाओं में सुधार लाना अब और भी अधिक

आवश्यक है, क्योंकि मार्च 2014 के बाद से भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि के स्वरूप में बदलाव आया है। पहले की तरह अब केन्द्रीय धन राज्य समितियों और एजेंसियों को नहीं जारी किया जाता।

प्रमुख कार्यक्रमों का मूल्यांकन जरूरी – कुछ मंत्रालयों द्वारा समवर्ती मूल्यांकन कराए जाने और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए व्यावसायिक संगठनों को साथ जोड़े जाने के बावजूद, ऐसी रिपोर्टों को शायद ही कभी नीति निर्माताओं द्वारा पढ़ा जाता हैं, और रिपोर्ट में किए गए परीक्षण के आधार पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई भी नहीं की जाती। अंततः प्रभाव के अध्ययन के लिए किसी व्यवसायी को काम पर रखने की प्रक्रिया संरक्षण देने की एक और जघन्य गतिविधि का रूप ले लेती है, जहां पसंदीदा लोगों का चयन किया जाता है और रिपोर्ट की गुणवत्ता ज्यादा महत्व नहीं रखती। जनजातीय मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, तथा महिला एवं बाल विकास जैसे कुछ मंत्रालय, धन या खाद्यान्न जारी करने भर से संतुष्ट हो जाते हैं और उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती, कि रकम को कैसे खर्च किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें दबाने तक के प्रयास होते हैं। ग्रामीण लोगों के लिए तैयार किए गए कई कार्यक्रमों की रूपरेखा दोषपूर्ण है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे कई राज्यों में आईसीडीएस में संविदाकारों द्वारा पूरक पोषाहार की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा हाल में गोरखपुर में कराए गए एक अध्ययन में पता चला कि पका हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद सभी केन्द्रों ने 500 कैलोरी उपलब्ध कराने के नियम के विपरीत केवल 100 कैलोरी युक्त पैकेटबंद रेडी–टू–ईट भोजन की आपूर्ति की और 63 फीसदी भोजन और धन का अनुचित उपयोग किया गया। अरुचिकर होने के कारण इसमें से आधे भोजन की परिणति पशु चारे के रूप में हुई।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा समय–समय पर व्यावसायिक और शैक्षणिक संगठनों का उपयोग कर प्रभाव के लिए अध्ययन कराना ही पर्याप्त नहीं है। उनके निष्कर्षों को हर हाल में प्रचारित किया जाना चाहिए और उन पर प्रमुख हितधारकों के साथ चर्चा होनी चाहिए, ताकि रूपरेखा और वितरण के क्षेत्र में जल्द से जल्द सुधार लाया जा सके। सरकारों को प्रभाव के अध्ययन के निष्कर्षों को अपनी वेबसाइट पर डालना चाहिए और अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यशालाओं में इन्हें वितरित करना चाहिए। परिणामों का प्रसार भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्त में, हालांकि ऊपर वर्णित नीतिगत सुधारों के लिए मजबूत राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ सिद्धांतहीन राज्यों में संरक्षण के वितरण के लिए राजनीतिक दबाव इतना प्रचंड होता है कि मंत्रियों और नौकरशाहों के पास वैचारिक चिंतन, अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाने तथा प्रदत्त सेवाओं की दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए समय या इच्छा ही नहीं रहती। आशा है कि ये राज्य अन्य राज्यों के सकारात्मक उदाहरण से सबक सीखेंगे, जहां प्रशासन में सुधार और समावेशी विकास के माध्यम से सत्ता विरोधी लहर को परास्त कर दिया है।

(लेखक भारत सरकार के योजना आयोग में पूर्व सचिब रह चुके हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग में भी सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं।)

ई–मेलः naresh.saxena@gmail.com

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	–	530	1000	1400

गांवों में बेहतर हो रही हैं आधारभूत सुविधाएं

—संजय झा

आज के दौर में कई गांव शहरों से मुकाबला करने को तैयार हो चुके हैं। सस्ता श्रम बल, सस्ती संरचना, सस्ता परिवहन व्यय आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि अब उद्योग जगत गांवों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संभावना है पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी दोनों रूपों में गांव औद्योगिकीकृत होंगे। इस संभावना के साथ ग्रामीण रोजगार के असीम दरवाजे खुलेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ा दी हैं।

देश की आर्थिक प्रगति और राष्ट्र निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का विकास बहुत जरूरी है। आजादी के सात दशकों के दौरान शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई को पाटने की कोशिशें हुईं। तमाम नीतियां और योजनाएं बनीं लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका। अब गांवों के रास्ते देश को मजबूत करने के मर्म के साथ सरकार की तरफ से कई अहम योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो साल के कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों के तीव्र विकास को लेकर सांसद आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत कई नई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के कारण ग्रामीण विकास के साथ–साथ रोजगार में वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

निम्न स्तर की ग्रामीण जीवनदशा के लिए खराब सड़कें और यातायात नेटवर्क भी एक बड़ी वजह है। अच्छे सड़क नेटवर्क और आर्थिक विकास के बीच गहरा नाता है। प्रभावी यातायात लोगों की आय और कल्याण स्तर में कई तरीके से इजाफा करता है– कृषि उत्पादों की मार्केटिंग और वितरण, लोगों और संसाधनों के सुचारु आवागमन में इनका महती योगदान तो होता ही है; साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को भी सुलभ बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से आधारभूत संरचना निर्माण कार्यों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार क्षेत्रों में कार्यों के बढ़ने से रोजगार व आय में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। स्वच्छ जलापूर्ति के लिए भारत में 35 लाख से अधिक चापाकल तथा एक लाख पाइप जलापूर्ति योजना चलाई गई। इससे भारी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2014–16 में रोजाना औसतन 100 किमी. सड़क का निर्माण किया गया। विश्व बैंक के एक अध्ययन में बताया गया है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क पक्की सड़कों से है, उन क्षेत्रों में सन् 2000 से 2009 के बीच आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इस आंकड़े से आप खुद समझ सकते हैं कि पक्की सड़कें गांवों के विकास में कितना योगदान देती हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण पर जब 10 लाख का निवेश होता है तब करीब 163 लोग गरीबी से बाहर निकल जाते हैं। सरकार ग्रामीण

सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि ग्रामीण सड़कों की लंबाई जहां 2005–06 में 22891 किमी. थी वही 2009–10 में यह बढ़कर 54821 किमी. हो गई।

ग्रामीण सड़क निर्माण में नई ऊंचाईयां		
2014–16	जुड़ी बस्तियां	पूरी की गई लम्बाई (किमी.)
लक्ष्य	14,865	55424 किमी.
उपलब्धियां	18,488	72,835 किमी.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014–16 के दौरान हर दिन औसतन 100 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 72,835.81 किमी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। पीएमजीएसवाई योजना का लक्ष्य वर्ष 2019 तक 2.23 लाख किमी. सड़क निर्माण द्वारा 65 हजार पात्र बस्तियों को जोड़ना है। पहले ये लक्ष्य 2022 तक निर्धारित किया गया था।

प्रधनमंत्री ग्रामीण आवास योजना

भारत में आज भी करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके सिर पर छत नहीं है। मौजूदा सरकार ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आवास एक आर्थिक सम्पत्ति है एवं स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालने के साथ ही सामाजिक उन्नति में योगदान देता है। किसी परिवार के लिए रहने का स्थायी आवास होने के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष फायदे अमूल्य एवं ढेरों हैं। मकान में रहने के लिए वातावरण बेहतर होने के अप्रत्यक्ष फायदे श्रम उत्पादकता एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव के रूप में होते हैं। पोषण, स्वच्छता, माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य समेत मानव विकास के मापदण्डों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है; जीवन–स्तर बेहतर होता है।

मोदी सरकार ने गांवों में सभी के लिए पक्के मकान बनाने के कार्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना के तहत केवल तीन सालों में एक करोड़ घरों को पक्का करने की योजना है। 'इंदिरा आवास योजना' का नाम बदलकर अब 'प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास' योजना रख दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2022 तक सभी देशवासियों को पक्का घर उपलब्ध कराना चाहते हैं। उसी के तहत एक बड़ा प्लान बनाया गया है। पहले चरण में तीन वर्षों में ग्रामीण इलाकों में एक करोड़ घरों को पक्का करने की योजना बनायी गई है, इस योजना में तीन वर्षों में करीब 81,975 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी बेघर और जीर्ण–शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

इसी तरह निर्माण क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इस क्षेत्र का 250 से भी ज्यादा अधीनस्थ उद्योगों से वास्ता है। ग्रामीण आवास योजना के विकास से ग्रामीण समाज में रोजगारों का सृजन होता है और इससे गांवों का अर्थतंत्र विकसित होता है। इस योजना के तहत आवासों के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एवं केंद्र और राज्य सरकारों को तकनीकी मदद देने के लिए एक नेशनल टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी का गठन होने वाला है। इस योजना के तहत समतल क्षेत्रों में प्रति एकक 1,20,000 रुपये तक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये तक सहायता में बढ़ोतरी की हैं। इसमें से 21,975 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से की जाएगी। लाभान्वितों की पहचान के लिए सामाजिक–आर्थिक–जातीय जनगणना–2011 का उपयोग किया जा रहा है। मकान बनाने में प्रयुक्त सामग्री की अतिरिक्त जरूरत को देखते हुए ईंटों के निर्माण हेतु सीमेंट या फ्लाई एश का मनरेगा के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। मकान का क्षेत्रफल मौजूदा 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर भोजन बनाने के स्वच्छ स्थान समेत 25 वर्गमीटर तक किया जाएगा तथा अब घर बनाने के लिए दी जाने वाली राशि 70 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जरूरत पर लाभार्थियों को 70 हजार रुपये का कर्ज भी दिया जा सकेगा और बारह हजार रुपये शौचालय के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत पहले उन्हीं लाभार्थियों को लाभ मिलता था जो बीपीएल सूची में शामिल थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है,अब हर उस व्यक्ति को आवास मिलेगा जो गरीब हैं और उनके पास पक्का मकान नहीं है।

यह भी प्रस्तावित किया गया है कि परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 के कालखंड में एक करोड़ घरों को पक्का बनाने के लिए मदद प्रदान की जाएगी। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़ कर यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे भारत में क्रियान्वित की जाएगी। मकानों की कुल लागत केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी।

इस प्रक्रिया में जिन लोगों के मकान निजी स्रोत अथवा सरकारी योजनाओं के तहत बने पाए जाएंगे, उन्हें पात्रता सूची से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे परिवार भी पात्रता सूची से हटाए जाएंगे, जिनका कोई सदस्य सरकारी सेवक बन गया होगा। शेष पात्रों की सामान्य, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति श्रेणियों में तीन सूचियां बनाई जाएंगी। यदि कोई नाम किन्हीं कारणों से पात्रता रखते हुए भी सूची में नहीं आ सका, उसके बारे में अलग से प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही रजिस्टर में लिखा जाएगा कि अमुक व्यक्ति आवासहीन है।

अपात्रों की इन बिंदुओं के आधार पर होगी पहचान

जिस व्यक्ति के पास दो पहिया अथवा चार पहिया वाहन, मछली पकड़ने की नाव, 50 हजार रुपये अथवा इससे अधिक लिमिट का किसान क्रेडिट कार्ड, गैर–कृषि संस्था के रूप में सरकार में पंजीकृत परिवार, दस हजार रुपये अथवा इससे अधिक की नौकरी करने वाले सदस्य का परिवार, आयकर दाता, फ्रिज, लैंडलाइन फोनधारक, सिंचाई संसाधन समेत ढाई एकड़ जमीन के स्वामी अथवा पांच एकड़ जोत के मालिक आवास पाने को अधिकृत नहीं होंगे।

आवास आवंटन में इन्हें दी जाएगी वरीयता

आवास के लिए सर्वमान्य मानक यही है कि लाभार्थी के पास अपना मकान नहीं हो। इसके अतिरिक्त आवास की पात्रता चयन में सेना, पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस के शहीद जवानों की विधवाओं, सफेद दाग, कैंसर और एचआईवी से पीड़ित सदस्य के परिवार, इकलौती बेटी के परिवार, वनाधिकार एक्ट के लाभार्थी परिवार और किन्नरों को आवास प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे।

रोजगार भी अहम

आवास की तरह लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में आरंभ की गई। लागू होने के छह वर्ष के भीतर इस योजना ने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदल डाली है। वर्ष 2010–11 के दौरान इस योजना के तहत 5.49 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। इस योजना के द्वारा अब तक करीब 1200 करोड़ रोजगार दिवस का कार्य हुआ है। ग्रामीणों के बीच 1,10,000 करोड़ रुपये की मजदूरी वितरित की जा चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक प्रति वर्ष औसतन एक चौथाई परिवारों ने इस योजना से लाभ लिया है। यह योजना सामाजिक समावेशन की दिशा में बेहतर सिद्ध हुई है। मनरेगा के द्वारा कुल कामों के 51 प्रतिशत कामों में अनुसूचित जाति व जनजाति तथा 47 प्रतिशत महिलाओं को शामिल किया गया। मनरेगा में प्रति अकुशल मजदूर को 180 रुपये दिए जाते हैं। इसका प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा है। निजी कार्यों के लिए भी पारंपरिक मजदूरी जोकि अपेक्षाकृत काफी कम थी, इसके प्रभाव से बढ़ गई है। निश्चित रूप से मनरेगा न केवल ग्रामीण रोजगार के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है बल्कि इसने ग्रामीणों की सामाजिक– आर्थिक स्थिति को भी सुधारा है।

पिछले एक दशक में मनरेगा की उपलब्धियां राष्ट्रीय गर्व और उत्सव का विषय रही हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद से इस पर 313844 करोड़ रूपये खर्च हुए जिसमें से 71 प्रतिशत खर्च मजदूरी का भुगतान करने में किया गया। इसके तहत 20 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति वर्ग के मजदूरों और 17 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के मजदूरों को प्रदान किया गया। मनरेगा की सफलता को देखकर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अधिक से अधिक राशि देगी। साथ ही, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए पैसा सीधे मजदूरों के खातों में भेजा जा रहा है। सरकार ने 'लूट की छूट' पर शिकंजा कस दिया है और भ्रष्टाचार बंद होने से राशि बच रही है। कामों की निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के कारण इस साल मनरेगा में जबर्दस्त सुधार हुआ है।

डिजिटल इंडिया

इसी तरह डिजिटल इंडिया भी प्रधानमंत्री की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। 'डिजिटल इंडिया' की शुरुआत 21 अगस्त, 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। डिजिटल भारत की मदद से सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध हो और कागजी कार्रवाई कम हो। इस पहल में ग्रामीण क्षेत्रों को तीव्र गति के इंटरनेट नेटवर्क के तहत जोड़ने

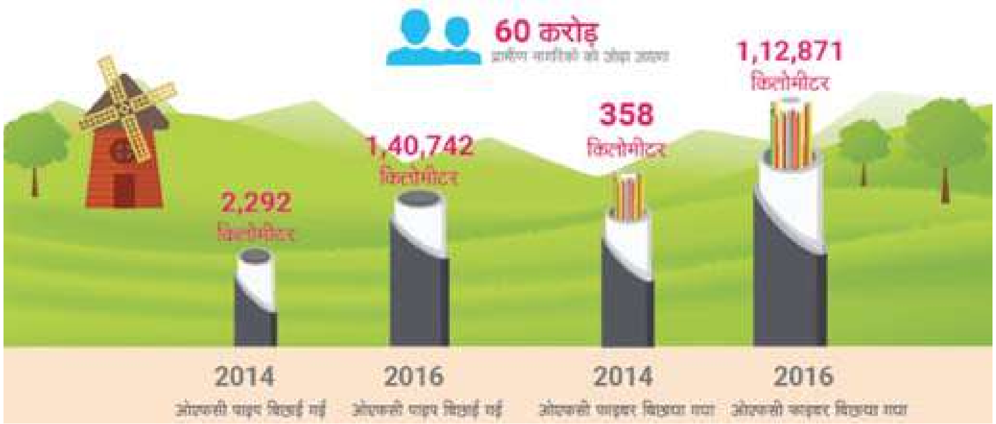

की योजना भी है। सरकार की मंशा है कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक–दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। इसका एक लक्ष्य कागजी कार्रवाई कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक डिजिटली पहुंचाना है। डिजिटल भारत के तीन प्रमुख घटक बताए गए हैं– डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण। सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लालफीताशाही खत्म होगी। सरकार ई–गवर्नेंस और ई–क्रांति के जरिए तकनीकी के माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द निस्तार करना चाहती है।

इतना ही नहीं राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन) के जरिए सभी ग्राम पंचायतों में कोर उपयोगिता के रूप में तीव्र गति इंटरनेट मुहैया कराना और हर नागरिक को उपयोगिता के रूप में डिजिटल बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के पूरा होने से देश के 60 करोड़ से अधिक ग्रामीण नागरिकों को ब्रॉडबैंड संयोजन की सुविधा मुहैया कराने की उम्मीद है। इसके तहत प्रथम चरण में एन.ओ.एफ.एन, को 50,000 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा, शेष 2,00,000 ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2016 तक कवर किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की स्थापना से अभिगमन सेवा प्रदाताओं जैसे मोबाइल ऑपरेटरों, केबल टीवी ऑपरेटरों आदि द्वारा अगली पीढ़ी की सेवाएं शुरू करने के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे और स्थानीय रोजगार जैसे ई–वाणिज्य, आईटी आउटसोर्सिंग, ई–शिक्षा के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

डिजिटल भारत की सोच को आगे ले जाने की दिशा में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश को डिजिटल रुप से एक सशक्त समाज और ज्ञान– अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। 15 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली के लालकिला से भारत के 68 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में 'डिजिटल भारत' के लिए अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा, 'मैं जब डिजिटल भारत की बात करता हूं तो मैं विशिष्ट वर्ग की बात नहीं करता हूं, यह गरीब लोगों के लिए है। अगर भारत के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाए और यदि हम गांवों के हर दूरदराज कोने में स्कूलों के लिए लंबी दूरी की शिक्षा देने में सक्षम हो जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि गांवों में बच्चों को कितनी बेहतरीन शिक्षा मिलेगी'। उन्होंने आगे कहा 'मैं आज यह कहना चाहूंगा कि देश के हर नागरिक को जोड़ने की क्षमता सूचना प्रौद्योगिकी के पास है और यही कारण है कि देश की एकता के मंत्र को हम डिजिटल भारत की मदद से साकार करना चाहते हैं'।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एक परिवहन नेटवर्क के रूप में है जो पंचायतों में ग्रामसभा बैठकें, गांव के रिकॉर्ड, नागरिकों के आंकड़ों को सामयिक बनाना, पंचायतों के प्रभावी प्रदर्शन की निगरानी, कृषि के तरीकों, उत्पादकता तकनीकों, लघु उद्यमों, व्यावसायिक शिक्षा की साझेदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त आदि नागरिक सेवाओं की जानकारी देने के साथ ही सरकारी योजनाओ के कार्यान्वयन की निगरानी हो सकेगी।

दूरसंचार– फरवरी, 2016 तक भारत में टेलीफोन की पहुंच 82.93 प्रतिशत लोगों तक हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों में भी टेलीफोन की पहुंच बढ़कर 50.63 प्रतिशत हो गई है। दूरदराज के इलाकों तक पहुंची टेलीफोन सेवा ने डिजिटल फासलों को कम किया है

कॉल सेंटर, बीपीओ, इंटरनेट संबंधी रोजगार के नए अवसर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। यह ग्रामीण रोजगार क्षेत्रों के लिए क्रांतिकारी बदलाव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं, सेवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती मांग ने गांवों में रोजगार के नवीन अवसरों को भी बढ़ाया है। गांवों का भविष्य रोजगार की असीम संभावनाओं से युक्त दिख रहा है।

(लेखक लंदन स्थित आई टीवी न्यूज के भारत प्रतिनिधि हैं। समय–समय पर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर लिखते रहते हैं। श्री झा को आर्थिक विषयों के क्षेत्र में अमेरिका में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित सम्मान गैराल्ड लोएब पुरस्कार मिल चुका है।)

ई–मेलः office@sanjayjha.in

पंचायती आज़ादी की शासकीय पहल

—डॉ. विनीत तिवारी

वित्त वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के खाते में 2.87 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। यह आवंटन ग्रामसभाओं व पंचायतों को एक जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयार व बाध्य दोनों करता है। आप कह सकते हैं कि यदि यह कदम पूरी ईमानदारी के साथ ज़मीन पर उतारा जा सका, तो यह भारत के गांवों का ढांचागत खाका बदलने में मददगार होगा।

गांव–पंचायत की बेहतरी हेतु शासकीय पहल पर आधारित यह लेख लिखने बैठा, तो उस दिन 15 अगस्त था। मेरी स्मृति पलटकर फिर उसी अंतिम वसीयत पर टिक गई, जिसमें भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 15 अगस्त, 1947 को हासिल आज़ादी को तब तक अधूरी बताया था, जब तक कि भारत के गांवों को आर्थिक, सामाजिक व नैतिक आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। मैंने सोचा कि अगले 15 अगस्त को जब भारत अपनी आज़ादी के आठवें दशक में प्रवेश करेगा, तब तक हम आज़ादी के अधूरेपन को भरने के ज्यादा से ज्यादा करीब हों; इसके लिए जरूरी है कि हम गांव और पंचायतों को लेकर उठाए उन कदमों को ज्यादा सक्रियता व संकल्प के साथ सार्थक करने में जुट जाएं, जो हमें इस दिशा की ओर ले जाते हैं। इसी दृष्टि से लालकिले की प्राचीर से जारी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का भाषण सुनते हुए भी मेरी बुद्दि गांधी जी की अंतिम वसीयत के दायरे में ही उसका विश्लेषण करती रही।

गरीबी से आज़ादी का इरादा जताती पहल

प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबी से मुक्ति से बड़ी कोई आज़ादी नहीं हो सकती। इस दिशा में शासकीय पहल व उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने बताया कि ग्रामीण सड़क निर्माण की गति 70–75 से आगे बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंचा दी गई है। सौर ऊर्जा निर्माण में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गन्ने का 99.5 प्रतिशत बकाया चुका दिया गया है। मुद्रा बैंक शुरु किया गया है। 21 करोड़ लोगों के जन–धन खाते खोले गए हैं। 70 करोड़ लोगों को 'आधार' से जोड़ लिया गया है। 'आधार' व्यवस्था की इस व्यापक पहुंच के कारण अब सब्सिडी सीधे खाते में पहुंचेगी। इससे भ्रष्टाचार के मौके घटेंगे। 50 लाख गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन, मृदा सेहत कार्ड, बीते एक वर्ष में 10 हजार गांवों में बिजली, 70 हजार सोलर पम्प वितरण, 131 से ज्यादा नए अनुकूल बीज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद्य प्रसंस्करण में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। उन्होंने घोषणा की कि गरीब

के इलाज के लिए एक वर्ष में एक लाख रुपये तक के खर्च का वहन भारत सरकार करेगी। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले उद्यमों को मंजूरी के नीतिगत फैसले, मुद्रा बैंक तथा आधार की बढ़ती अनिवार्यता के नफ़े–नुकसान को लेकर असहमति अथवा व्यावहारिकता को लेकर बहस संभव है, लेकिन आदर्श स्थिति में उक्त कदमों से गांव–गरीब की गरीबी घटाने के मौके बढ़ाने की उम्मीद ही की जाएगी। इनसे गांवों की आर्थिक प्रगति में मदद होगी। इससे भी भला किसे इंकार होगा ? किंतु क्या इनमें से कोई पहल हमारे गांवों को आर्थिक, नैतिक और सामाजिक आज़ादी दिलाने वाली साबित होगी? भूले नहीं कि गरीबी से आज़ादी और आर्थिक आज़ादी का मतलब एक समान नहीं है।

समग्र सोच की दरकार

आज़ादी सोचने की, आज़ादी निर्णय लेने की और आज़ादी लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की। किसी भी देश, संगठन, समुदाय अथवा व्यक्ति की आज़ादी का संभवतः बुनियादी अर्थ यही होता है। इस अर्थ के आईने में आज़ादी की सम्पूर्णता, अधिकार से ज्यादा कर्त्तव्य की मांग करती है। क्या कोई पहल है, जो हमारे गांवों को उक्त तीन स्तर पर आज़ाद कर अधिकार और कर्तव्य, दोनो का पूरी शिद्दत के साथ एहसास कराती हो ? भारत सरकार की नई शासकीय पहल के कारण 'ई–नैम' नामक सिस्टम के जरिए किसान अब देश की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपने उत्पाद को बेच सकता है। हो सकता है कि आप इसे मनचाहे ग्राहक को अपनी उपज बेचने के निर्णय की आज़ादी कहें। मध्य प्रदेश, ज़िला टीकमगढ़, ग्राम पंचायत द्वारा बेटी के जन्म पर पांच हज़ार रुपये को 18 वर्षीय साविधिक जमा योजना में जमा कराने को आप समानता अथवा आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाने वाला कदम करार कर सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी आप आर्थिक आजादी की ओर उठा कदम कह सकते हैं, लेकिन सच यही है कि पूरी आज़ादी को आप टुकड़े–टुकड़े में ला तो सकते हैं, लेकिन सोच नहीं सकते।

सस्ता–सुलभ त्वरित न्याय : अच्छी पहल, धीमी रफ्तार

ध्याान रहे कि पूरी आज़ादी कभी अकेले नहीं आती, वह जब भी आती है, न्याय, बंधुता और समानता को अपने साथ ले आती है। आकलन करना चाहिए कि उक्त कदमों में क्या कोई कदम ऐसा भी है कि जो हमारे गांवों को न्याय, बंधुता और समानता की दिशा में ले जाता है? 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं कहा कि सिर्फ आर्थिक प्रगति से देश सशक्त नहीं बनता; सशक्त समाज से देश सशक्त बनता है। यदि समाज को सशक्त करना है, तो यह सामाजिक न्याय बिना संभव नहीं होता। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1700 कानूनों के जंजाल को कम करने की कोशिश का जिक्र किया। न्याय पंचायतें, गांवों का सद्भाव बिगाड़े बगैर गांवों को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाने का पारंपरिक माध्यम रही हैं। बिहार में ग्राम कचहरियों के अनुभव आज भी अच्छे ही हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश शासन 1972 के बाद से उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को रोके हुए है। उसकी इस असंवैधानिक रोक पर केन्द्र की पहल का आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को इंतजार है।

दो अक्तूबर, 2009 को प्रभावी घोषित 'ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008' के तहत् पूरे देश में पंचायत समिति स्तर पर 5,000 ग्राम न्यायालयों की स्थापना का मार्ग खुला। न्याय के मामले में इससे व्यापक राहत की जगी उम्मीद को देखते हुए सभी ने इस पहल का स्वागत भी किया, किंतु केन्द्र व राज्य सरकारों की प्राथमिकता में न आने के कारण पहिए जहां के तहां थमे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने लालकिले से अपने भाषण में सुराज के लिए जिस रफ्तार की दरकार बताई, इस ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को भी वही रफ्तार चाहिए। देखिए, कब मिलेगी ?

सरकारी नियंत्रण से मुक्ति की पहल जरूरी

बकौल महात्मा गांधी, सरकारी नियंत्रण से मुक्ति होने का निरंतर प्रयास ही असल 'स्वराज्य' होता है। पंचायती राज संस्थानों को अपेक्षा रहेगी कि जिन कानूनों अथवा प्रावधानों के कारण वे बीडीओ, सीडीओ तथा ग्रामीण विकास विभाग आदि के मातहत काम करने को मजबूर हैं, उन्हें खत्म किया जाए। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को आखिरकार 'सेल्फ गवर्नमेंट' का संवैधानिक दर्जा दिया है। पंचायतें, स्वयं में सरकार हैं; फिर वे जनता छोड़ किसी अन्य के मातहत क्यों हो? 27 मई, 2004 में पंचायती राज का एक अलग मंत्रालय बनाना निसंदेह, एक नई पहल थी। किंतु इससे जुड़ी एक अन्य शासकीय पहल की प्रतीक्षा करता एक प्रश्न आज भी कायम है कि जब पंचायती राज एक अलग मंत्रालय है, तो हमारी पंचायती राज इकाइयों को दूसरे मंत्रालयों के विभागों के अधीन क्यों काम करना पड़ रहा है ? काश! खत्म किए जाने वाले कानूनों की सूची में वे कानून भी हों, जो भारत के गांवों को सरकारी नियंत्रण से अधिकतम मुक्ति दिलाने की राह में बाधा बने हुए हैं।

खैर, हम यह कह सकते हैं कि पूर्व में हुई कई पहल के कारण खासकर, योजना/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की आज़ादी की दिशा में पंचायती राज संस्थान आगे बढ़े हैं। यह बात और है कि पारदर्शिता की कमी, ग्रामसभा की वास्तविक भागीदारी का अभाव तथा प्रशासन व पंचायतों की आपसी गैर–बराबरी ने इसमें कर्तव्य व अधिकार के वास्तविक एहसास

को पूरी तौर पर उभरने नहीं दिया। पंचायती योजना समितियों का अस्तित्व होने के बावजूद व्यापक गांव समुदाय को अपनी सोच के अनुसार अपने गांव के विकास का खाका तय करने; अपने गांव की विकास योजना बनाने अथवा उसके क्रियान्वयन के तौर–तरीके के बारे में निर्णय लेने की आज़ादी व्यावहारिक रूप में कभी नहीं मिल पाई।

पंचायती आज़ादी की ओर चार कदम

हालांकि किसी भी कदम की सफलता काफी कुछ उसके नियोजन, नियंता, क्रियान्वयनकर्ता तथा लाभार्थी की नीयत, ईमानदारी, संकल्प, सातत्य और सक्रियता पर निर्भर करती है। फिर भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में जो कदम पंचायती आज़ादी व सशक्तीकरण की दिशा में काफी कारगर हो सकते हैं, उनमें सक्रिय सहभागिता का आह्वान लालकिले की प्राचीर से होता, तो और अच्छा होता, जैसे राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ग्राम विकास योजना और ई–पंचायत योजना।

पंचायती राज मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह के अनुसार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 में राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के तहत् पंचायतों को ई–गर्वनेंस के लिए अधिक सक्षम तथा जवाबदेह बनाने की दृष्टि से कई कदम उठाए गए। पंचायत–स्तर पर 75 हजार कर्मचारियों, 2037 पंचायत भवन, 17 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण तथा 19,741 कम्प्यूटर खरीद हेतु मंजूरी प्रदान की गई। पिछड़ा अनुदान कोष कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत् ग्राम संसाधन केन्द्र से लेकर जन सहायता केन्द्र तक की स्थापना का विचार है।

महत्वपूर्ण पहल : गांव योजना निर्माण की आज़ादी

वित्त वर्ष 2016–17 में ग्राम पंचायतों और नगर निकायों के खाते में 2.87 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। इस आवंटन की खूबी यह यह है कि यह किसी एक तयशुदा काम के लिए नहीं है। आवंटित धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में पहुंचेगी। ग्राम पंचायत व ग्रामसभा मिलकर तय करेंगे कि उसे ग्राम विकास के किस काम में खर्च करें। उस काम की योजना व कार्ययोजना भी गांव को ही बनानी है। खास बात यह है कि ग्रामसभा की मंजूरी के बिना न तो वह योजना मंजूर मानी जाएगी और न ही ग्राम पंचायत आवंटित धन को खर्च हेतु जारी कर सकेगी। क्रियान्वयन की जवाबदेही भी ग्राम पंचायत व ग्रामसभा को मिलकर उठानी होगी।

स्पष्ट है कि यह आवंटन ग्रामसभाओं व पंचायतों को एक जिम्मेदार भूमिका के लिए तैयार व बाध्य दोनों करता है। आप कह सकते हैं कि यदि यह कदम पूरी ईमानदारी के साथ ज़मीन पर उतारा जा सका, तो यह भारत के गांवों का ढांचागत खाका बदलने में मददगार होगा। यूं तो आवंटित धनराशि की मात्रा ग्राम पंचायतों/नगर निकायों की कार्ययोजना, जनसंख्या व आकार पर निर्भर करेगी, किंतु मोटा–मोटा आकलन यह है कि कुल बजट में से प्रत्येक पंचायत के हिस्से में औसतन 80 लाख तथा प्रत्येक स्थानीय शहरी निकाय को 25 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी। याद कीजिए कि दिल्ली सरकार की मोहल्ला सभा योजना का नारा क्या है ? 'हमारा पैसा, हमारा मोहल्ला, उसे खर्च करने का फैसला हमारा'। दोनो कदमों के स्तर व क्रियान्वयन तरीके में फर्क संभव है, लेकिन दोनो ही कदमों की दिशा एक ही है – लोगों को स्वयं निर्णय लेने तथा खुद लिए निर्णय के क्रियान्वयन की आज़ादी व जवाबदेही देना। दिल्ली सरकार ने मीडिया के जरिए मोहल्ला सभा विचार को पर्याप्त प्रचार दिया है। उक्त आवंटन की महत्ता को देखते हुए भारत व राज्य सरकारों को भी चाहिए वे अपने इस आवंटन और इसकी मंशा

डिजिटल इंडिया के तहत नई सेवाऐं

ग्राम पंचायत स्तर के कार्यालयों, जैसे – स्कूल, पंचायत कार्यालय, डाकघर आदि को इंटरनेट से जोड़ना	प्रमाणपत्र, टेली–हेल्थ, ई–शिक्षा, कृषि सूचना आदि सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना
आर्थिक–सामाजिक वर्गों में व्याप्त डिजिटल फासलों को मिटाने में सहायता करना	ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर मुहैया कराना

को व्यापक प्रचार दें; कारण कि यदि इस आवंटन में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित न की जा सकी, तो यह पहल बेहतरी की बजाय ग्राम पंचायतों को भ्रष्ट और पंचायत चुनावों को अधिक आपराधिक व अधिक खर्चीला बनाने वाला साबित होगा।

ई–पंचायत – अधिकतम अभिशासन की तकनीकी पहल

ई–गर्वनेंस की राष्ट्रीय योजना तो वर्ष 2006 में आ गई थी, लेकिन असल रफ्तार अब आकर दिखाई देनी शुरु हुई है। सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के जरिए अभिशासन यानी गर्वनेंस सुनिश्चित करने के प्रयास अब एक समयबद्ध कार्यक्रम के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मोदी सरकार के 'डिजिटल इंडिया' के बड़े सपने में गांव व पंचायतें प्राथमिक स्थान पर हैं। ई–पंचायत मोड परियोजना, इसी दिशा में लगातार कदमताल कर रही एक परियोजना है। परियोजना का उद्देश्य भारत की 2.45 लाख पंचायतों को ई–चालित करके पंचायती राज कार्यप्रणाली को ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा कार्यकुशल, ज्यादा सक्षम और ज्यादा पारदर्शी बनाना है।

ई–पंचायत परियोजना शुरू में निश्चित रूप से कुछ जटिलताएं खड़ी करती दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार व सूचना–संचार प्रौद्योगिकी के संजाल से गांवों की सादगी और स्वावलंबन के में फंसने का खतरा भी लगेगा। इसे लेकर कुछ वैसी ही आशंकाएं उठाई जाएंगी, जैसी कभी सैम पित्रोदा व राजीव गांधी की सूचना–संचार प्रौद्योगिकी पहल को लेकर उठाई गई थी, लेकिन यदि पूरी तैयारी और उन्नत प्रशिक्षण के साथ इसे ज़मीन पर उतारा गया, तो ई–पंचायतें निश्चित ही गांवों में एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होंगी, जिसमें लोक को नकारना संभव नहीं होगा।

परियोजना के पूरे होने के पश्चात् प्रत्येक पंचायत में योजना, बजट, सामाजिक–आर्थिक लेखा–जोखा, संवाद, प्रमाणपत्र जारी करने से लेकर गांव–स्तर की कई नागरिक सेवाओं का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। लोग अपनी समस्याओं को लेकर ऑनलाइन परिचर्चा कर सकेंगे। लोगों के लिए बड़ा आसान होगा कि जो काम कागज पर हुआ है, वह वास्तव में हुआ है या नहीं; इसकी जांच कर फोटो प्रमाण सहित उसे निर्णायक पदाधिकारी, मीडिया तथा अन्य सभी की निगाह में ला सकें। कार्रवाई में हीला–हवाली होने पर उसे भी सार्वजनिक करना आसान होगा। राशन की दुकान से लेकर पंचायत पदाधिकारियों की गतिविधियों तक का हिसाब रखा जा सकेगा। जाहिर है कि इससे गलतियां छिपाना मुश्किल होता जाएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए सूचना व सेवा प्राप्त करना आसान, सस्ता और भ्रष्टाचारमुक्त हो सकेगा। योजनाओं को लाभार्थी की निगरानी में रखना संभव होगा।

उम्मीद कायम है

सरकार की कोशिश है कि पंचायत को एक उद्यम मानकर इसके ई–संचालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए जा रहे हैं। भारत के गांवों को सुनियोजित तरीके से ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2016 के अंत तक सभी पंचायतों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है। ₹4,750 करोड़ की लागत से वर्ष 2017 तक ढाई लाख सामुदायिक सेवा केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य है। आधार कार्ड, जन–धन खाते से लेकर तमाम नागरिक सेवाएं पंचायत क्षेत्र के भीतर ही उपलब्ध हो जाएंगी। गांवों के उत्पादों की पहुंच को असीमित बाज़ार के अनुपम मौके होंगे। बिचौलिओं की भूमिका घटेगी। जब यह सब कुछ होगा, तो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण युवाओं को रोज़गार के कुछ अतिरिक्त अवसर भी हासिल होंगे ही।

नई पीढ़ी जिस कौशल के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को स्वीकार कर रही है, इससे ई–पंचायतों के उचित परिणाम की संभावना और बढ़ जाती है। उम्मीद की जा सकती है कि पंचायतों को लेकर सरकार की सक्रियता ई–गर्वनेंस के दोनो छोरों को मजबूती देने में असाधारण सहयोगी बनेगी। हमारे गांव अपेक्षित आज़ादी के कुछ करीब आएंगे। शर्त सिर्फ यह रहने वाली है कि नीयत ईमानदार हो, प्रशिक्षण सर्वश्रेष्ठ, सहभागिता सक्रिय तथा संकल्प पूरी तरह मजबूत।

(लेखक बनस्थली विश्वविद्यालय, (राजस्थान) के भौतिक विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हैं)
ई–मेलः tvineet31@gmail.com

PARAMOUNT MISSION

for IAS

Powered by Paramount League

सामान्य अध्ययन

भारत एवं विश्व का भूगोल राजीव सौमित्र, संजीव श्रीवास्तव एवं शमीम अनवर	**भारतीय राजव्यवस्था** वी.के. त्रिपाठी	**नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरूचि** अमित कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह एवं संजीव त्रिपाठी	**इतिहास एवं संस्कृति** एस.एन. दुबे एवं कैश आलम
भारतीय अर्थव्यवस्था एस.के. झा, मनीष सिंह, अरूण अरोड़ा एवं उपेंद्र अनमोल	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** उपेन्द्र अनमोल	**आंतरिक सुरक्षा** आमोद कुमार कंठ (Retd. IPS) एवं डॉ. एस.एम. आजाद	**अंतर्राष्ट्रीय संबंध** नवाब सिंह सोमवंशी
शासन व्यवस्था राजीव रंजन सिंह	**भारतीय समाज** डॉ. सुरेंद्र सिंह	**पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा सामान्य विज्ञान** डॉ. रवि अग्रहरि, (वैज्ञानिक IIT Delhi), के.पी. द्विवेदी, कुलदीप सिंह एवं अजीत सिंह	**सामाजिक न्याय** मनीष सिंह

Course Director: Kunvar Digvijay Singh

commencing shortly

Head Office: 872, Ground Floor (Near Batra Cinema), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

FOR ENQUIRY CONTACT US: 7900000111, 7900000222, 7900000333

• www.paramountcoaching.in • enquiry@paramountcoaching.in

बढ़े भंडार, किसान बनें खुशहाल

—नितिन प्रधान

किसानों की बेहतरी के लिए सरकार के प्रयासों का असर धीरे-धीरे सामने आएगा। सरकार के इस दिशा में उठाए गए कदम किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली लाएंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के लिए शुरु की गई ढेरों योजनाएं और कार्यक्रम समग्र रूप से अपना कुछ न कुछ असर तो जरूर छोड़ेंगे जिससे देश की दो तिहाई आबादी की जिंदगी की तस्वीर बदलेगी।

पूरे देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन की जिम्मेदारी आज भी दो तिहाई आबादी पर है। लेकिन आजादी के सत्तर साल बाद भी देश की आबादी का यह हिस्सा आमदनी के लिहाज से बेहद पिछड़ा हुआ है। वजह स्पष्ट है कि दो तिहाई आबादी की आमदनी की निर्भरता वाला कृषि क्षेत्र इतने वर्षों के बाद भी दो प्रतिशत से अधिक की विकास दर पाने के लिए जूझ रहा है। उत्पादन की अधिक लागत, खुले बाजार में उपज के कम दाम और अक्सर मौसम की बेरुखी ने किसानों को इस स्थिति से कभी उबरने नहीं दिया। ऐसा भी नहीं है कि देश के खेतीहर समाज को इन मुश्किल परिस्थितियों से निकालने के प्रयास न हुए हों। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक देश के किसान को खुशहाल बनाने में कामयाबी नहीं मिल पायी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में राजग की सरकार को बने दो वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। देश के अन्नदाता की परेशानियों को दूर कर उन्हें खुशहाल बनाने को इस सरकार ने प्रारंभ से ही प्राथमिकता पर रखा है। यही वजह रही है कि बीते दो साल में खेती से जुड़ी सरकार की नीतियों में भी काफी परिवर्तन आया है। सूखे से लेकर अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के नियमों को बदला गया तो बैंकों से मिलने वाले कर्ज के नियमों को आसान बनाने में सरकार ने पहल की। लक्ष्य केवल यही था कि किसानों को बदहाल आर्थिक स्थिति से बाहर निकालकर उसे खुशहाल बनाया जाए। इसके साथ–साथ सरकार ने इस बात के इंतजाम करने के प्रयास भी किए हैं जिससे किसानों की पैदावार को बढ़ाया जा सके। कोशिश इस बात की भी है कि फसल सही समय पर और उचित दामों में बिके। इन दो साल में किसानों के लिए नीतियां कई बनी हैं, नियम भी कई बदले गए हैं। लेकिन उनके जमीन पर हकीकत बनने और उसका प्रभाव दिखने में अभी वक्त लगेगा।

इस सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों से निपटना था। सरकार ने इन्हें दो हिस्सों में बांटकर इन्हें लागू करने की कोशिश शुरू की। पहला, कृषि की लागत मूल्य में हो रही निरंतर वृद्धि में कटौती करना और दूसरा, उपज का उचित मूल्य दिलाना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता किसानों की आय को दोगुना करने की है। सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए कृषि के साथ उससे जुड़े उद्यमों को उच्च प्राथमिकता दे रही है। लेकिन इसके साथ–साथ यह भी जरूरी है कि किसानों की लागत को भी कम किया जाए। कृषि लागत को घटाने की दिशा में सरकार ने कई उपाय किए हैं। इसके तहत मिट्टी की जांच कर देश के 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड, जैविक

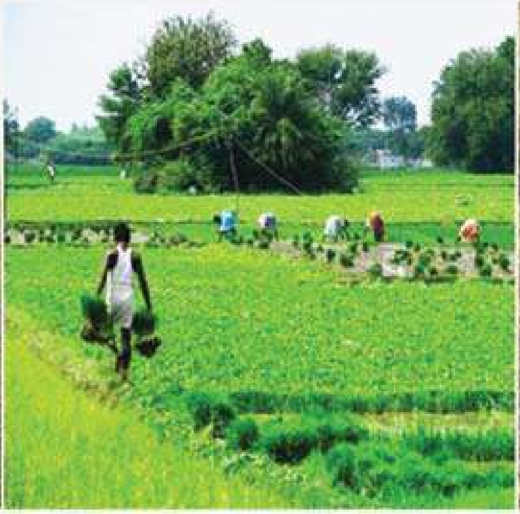

खेती को प्रोत्साहन देने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना, नीम कोटेड यूरिया, उन्नत प्रजाति के बीज एवं रोपण सामग्री और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी आकर्षक योजनाओं के साथ किसानों को खेती के लिए रियायती दरों पर पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान में राहत देने के लिए मानकों में परिवर्तन किया गया है ताकि उन्हें नुकसान की घड़ी में अच्छी राहत मिल सके।

किसानों की स्थिति में सुधार के लिहाज से मोदी सरकार की तरफ से अब तक जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है वह है फसल बीमा योजना की विसंगतियों को दूर कर उनके लिए एक नई योजना का प्रारंभ। इस योजना में सरकार ने फसल बीमा को मौजूदा 23 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि सरकार के खजाने पर इसका भारी बोझ आएगा। अभी तक जो योजना चल रही थी उसमें सिर्फ बैंक से कर्ज लेने वालों को फसल बीमा का लाभ मिलता था। लेकिन नई योजना में सरकार ने फसल बीमा को बैंक कर्ज से पूरी तरह अलग कर दिया है। ऐसा करके सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है और यह योजना अब हर छोटे, मध्यम और बड़े किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का लाभ किसानों के लिहाज से यह भी है कि उन्हें पहले के मुकाबले कम प्रीमियम देना होगा।

खेत में पैदा होने वाली फसल के बाद अगर किसान की कोई दूसरी सबसे मूल्यवान संपत्ति है तो वह है उसका पशुधन। सरकार इसके महत्व को समझती है क्योंकि यह किसान की अतिरिक्त आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। पशुधन का विकास और उसकी वृद्धि न केवल किसान और उसके परिवार की समृद्धिता के लिए आवश्यक है बल्कि देश की कृषि विकास दर को ऊंचा ले जाने में भी सहायक है। यही वजह है कि अब सरकार फसल बीमा के बाद किसानों के लिए पशुधन बीमा शुरू करने जा रही है। संभवतः जब तक यह आलेख प्रकाशित होगा उसका विस्तृत ब्यौरा भी किसानों के समक्ष होगा। यह गांव–देहात में जानवरों में होने वाली बीमारी से हुए नुकसान की भरपाई में सहायक होगा साथ ही बाढ़ या सूखे की स्थिति में होने वाली पशुधन की मौतों का मुआवजा दिलाने में भी किसानों के लिए मददगार बनेगा।

खेती–किसानी के हालात सुधारने की दिशा में कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए भी सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है, जिसमें उसे सफलता भी मिली है। 'एक राष्ट्र–एक मंडी' को सोच को आगे बढ़ाया गया है। लंबे समय से देश में मंडी कानून में सुधार की प्रक्रिया लंबित थी। लेकिन अब इसकी रफ्तार बढ़ाने के उपाय किए गए हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिले और खरीद–फरोख्त की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, इसे ध्यान में रखते हुए चालू वित्तवर्ष में ही ई–मंडी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई। इसमें 8 राज्यों की 21 मंडियों को शामिल किया गया। इससे एक ही राज्य की अलग–अलग मंडियों के अलग–अलग नियम व लाइसेंस में एकरूपता लाने में सफलता मिलनी शुरु हो गई है। ज्यादातर राज्यों की ओर से भी राष्ट्रीय मंडी में शामिल होने की सहमति प्राप्त हो गई है। 12 राज्यों के 365 मंडियों की ओर से प्रस्ताव आ चुके हैं। कृषि मंत्रालय ने मार्च 2018 तक देश की 585 मंडियों को ई–प्लेटफार्म पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पिछले डेढ़ साल में 27 राज्यों से 29 प्रकल्पों को मूंजूरी, दुग्ध उत्पादन 55 करोड़ टन हुआ।
- पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 36 से बढ़कर 46 की गई।
- देश में पहली बार जानवरों की देशी प्रजातियों के विकास के लिए 14 गोकुल स्थापित किए जाएंगे।

किसानों को ई–मंडी का पूरा लाभ मिल सके और वे अपनी उपज को पूरे देश में कहीं भी बेच सकें, इसके लिए राज्यों से अपने मंडी कानून में तीन प्रमुख संशोधन करने को कहा गया है। इसमें ई–व्यापार की अनुमति प्रदान करना, दूसरा– मंडी शुल्क को एकल बिंदु पर लागू करना और तीसरा– पूरे राज्य में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस प्रदान करना शामिल है। अब तक 17 राज्यों ने इस दिशा में कार्य शुरु कर दिया है। मंडी कानून में सुधार से कृषि उपज के उचित मूल्य मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर देश के सभी राज्य मंडी कानून में प्रस्तावित संशोधन कर देते हैं तो किसानों और उनकी उपज के ग्राहकों के बीच से बिचौलियों को समाप्त करने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाली उनकी उपज की कीमत में होगा जो अंततः उनकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगी।

कृषि क्षेत्र के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार कितनी गंभीर है इसे इस बात से ही समझा जा सकता है कि सरकार ने चालू वित्तवर्ष के आम बजट में इस क्षेत्र के आवंटन को 15,809 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35,984 करोड़ रुपये कर दिया है। बजट में यह वृद्धि दो गुना से भी अधिक है। दूसरी तरफ किसानों को खेती के लिए पैसे की किल्लत न हो इसके लिए कई तरह के उपाय सरकार ने किए हैं। सस्ते व रियायती ऋण के लिए सरकार ने कृषि ऋण के प्रवाह को तेज करते हुए किसानों के लिए होने वाले आवंटन को बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड, प्राकृतिक आपदा के समय

- दाल और तिलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। नई कीमतें 10 अक्तूबर 2016 से लागू होंगी।

  बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य–तूअर–5050 रुपये, मूंग 5225 रुपये, उड़द 5000 रुपये प्रति क्विंटल।
- पूर्वोत्तर राज्यों में 2015–16 में 112 करोड़ 11 लाख रुपये कृषि प्रोत्साहन के लिए जारी किए गए।
- फलों और सब्जियों की बरबादी रोकने के लिए पिछले दो वर्षों में कोल्ड चेन की 441 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मिलने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट का प्रावधान किया गया है। यही नहीं समय पर बैंकों को कर्ज की वापसी करने वाले किसानों के लिए कम दर पर ब्याज लेने का फैसला कर सरकार ने पूरे कृषक समाज के लिए राहत प्रदान की है।

सरकार के इन कदमों ने किसानों के लिए खेती करना काफी आसान बनाया है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता किसानों की आमदनी को मौजूदा–स्तर से बढ़ाना भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने कारगर पहल की है। इसके तहत खेती के साथ किसानों की आय बढ़ाने वाले अन्य व्यवसायों को भी बराबर का श्रेय देना शुरु किया गया है। इसमें बागवानी, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन जैसी कई योजनाओं के क्रियान्वयन की रफ्तार तेज की गई है। साथ ही इन्हें आकर्षक बनाने के उपाय भी किए गए हैं ताकि किसानों की इनमें रुचि पैदा हो सके। एक अनोखे अभियान के तहत खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने के अभियान को तेज करने हेतु एक नई राष्ट्रीय कृषि वानिकी योजना की शुरुआत की गई है। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिलने के बाद अब किसानों की रुचि डेयरी व मत्स्य पालन क्षेत्र में भी बढ़ रही है। इसका अंदाज इन क्षेत्रों की विकास दर में आए सुधार से लगाया जा सकता है।

मौजूदा सरकार के समक्ष देश की खाद्य सुरक्षा बनाए रखना एक अहम चुनौती बन कर उभरी है। इसे देखते हुए सरकार ने देश के पूर्वी राज्यों में दूसरी हरित क्रांति लाने के प्रयासों को तेज किया है। इससे जहां कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिली है, वहीं पूर्वी क्षेत्र के किसानों की वित्तीय सेहत सुधारने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने दलहन व तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने की कई योजनाएं शुरु की हैं ताकि दाल व खाद्य तेल के मामले में आयात निर्भरता को समाप्त किया जा सके। इसके लिए सरकार ने दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) मे खासी वृद्धि की है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। सभी दलहनों का समर्थन मूल्य 250 से 275 रुपये बढ़ाया है जैसे अरहर का समर्थन मूल्य 4350 से 4625 रुपये किया है और चने का समर्थन मूल्य 3175 से 3425 रुपये प्रति प्रतिक्विंटल किया है। यही नहीं सरकार ने पहली बार दलहन का बफर स्टॉक बनाने की नीति बनाई है। इसके अंतर्गत बफर स्टॉक को निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। इस वर्ष खरीफ की फसल से 50 हजार टन तथा रबी की फसल से एक लाख टन दलहन खरीद कर बफर स्टॉक बनाया जाएगा। अभी तक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही दलहन खरीदती थी किन्तु इस बार बफर स्टॉक बनाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार मूल्य पर दलहन खरीदने का फैसला किया है। इससे न केवल दलहन की कीमतों में होने वाले उतार–चढ़ाव को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों को उचित मूल्य भी मिलेगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की यह पहल अब रंग लाने लगी है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए न केवल नीतियों का निर्माण हो रहा है बल्कि जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों से कृषि व किसानों को संरक्षित करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। इतना ही नहीं सूखा व बाढ़–रोधी फसलों की प्रजातियां विकसित की जा रही हैं। दुग्ध सुरक्षा कायम रखने के लिए देसी नस्लों की गोपालन की योजनाएं शुरु की गई हैं। 29 राज्यों की 35 ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। साथ ही राज्यों में 14 'गोकुल ग्राम' की स्थापना की भी स्वीकृति दी गई है। कृषि क्षेत्र में मानव संसाधन की भारी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने दो नए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एवं इसके तहत 14 नये कृषि महाविद्यालयों के अलावा कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है। कृषि वैज्ञानिकों की भर्तियों को प्रोत्साहित किया गया है। कृषि प्रसार प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने देश के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक व सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

सरकार के इन सभी प्रयासों का जमीन पर असर भले ही अभी न दिख रहा हो। लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है इस मानसून की बारिश का असर जब तक किसानों के जीवन पर दिखना शुरू होगा तब तक सरकार के इन कार्यक्रमों का प्रभाव भी दिखना शुरू हो जाएगा। सरकार के प्रयास किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली लाएगा, यह तो समय ही बताएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 साल का इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया का अनुभव है। आर्थिक और वित्तीय विषयों पर लिखते हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण में राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ हैं।)

ई–मेल: pradhnitin@gmail.com

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

–शिशिर सिन्हा

कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली 'बंगड़ावाली' की। उसका असली नाम मालूम नहीं। लेकिन गांव वाले उसे 'बंगड़ावाली' कह कर पुकारते थे (बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बहुओं को उनके मैके के गांव के नाम से जोड़ कर पुकारा जाता है)। अब वो इस दुनिया में नहीं है। कहते हैं कि सालों तक चूल्हे में लकड़ी फूंकने की वजह से उसकी छाती में धुआं भर गया। समय पर इलाज नहीं हो पाया। वजह कभी मुफलिसी, तो कभी चिकित्सा सुविधा की कमी। नतीजा घुट–घुट कर वो मर गई।

'बंगड़ावाली' की एक ही बेटी है सुमन। 20 साल की हो चली है। किसी तरह से 12 वीं की पढ़ाई पूरी की है। शादी को लेकर भी बात चल रही है। मां की मौत के बाद उसकी एक ही जिद रही कि ना तो वो इस घर में किसी की छाती में धुंआ भरने देगी और ना ही ससुराल में। तभी उसकी नजर पड़ी प्रधानमंत्री उज्जवला योजना पर। उसने आवेदन किया। गैस कनेक्शन तो मिला ही और इसे खरीदने के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी। सुमन की अब कोशिश है कि उसकी शादी उसी घर में हो, जहां स्वच्छ ईंधन का इंतजाम हो।

सुमन उन 5 करोड़ परिवारों की नुमाइंदगी कर रही है जो गरीबी–रेखा के नीचे रहते हैं और जिनके लिए सरकार ने अगले तीन सालों में मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने उसी योजना बनायी है। इस योजना का जन्म की मुहिम से हुआ जिसमें लोगों ने रसोई गैस पर सब्सिडी छोड़ी और फिर उसी सब्सिडी की बदौलत गांवें में खासतौर पर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को गैस कनेक्शन मुहैया कराने की योजना बनी। मकसद ये था कि लोगों की सेहत सुधरे, महिलाओं का सशक्तीकरण हो और पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। अब सवाल ये है कि इस योजना की सोच कैसे बनी?

उज्जवला

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के 24 करोड़ परिवारों में से करीब 10 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें एलपीजी यानी घरेलू रसोई गैस जैसा स्वच्छ ईंधन नहीं मिलता। खाना पकाने के लिए ये परिवार जलावन की लकड़ी, कोयला और कंडे (गाय–भैंस की गोबर से बना जलावन का सामान जिसे अलग–अलग राज्यों में उपले या गोइठा के नाम से भी पुकारा जाता है) जैसे साधनों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ना, इन साधनों के इस्तेमाल के दौरान ढेर सारा धुंआ निकलता है जिससे घरों में प्रदूषण फैलता है और महिलाओं और बच्चों के लिए श्वास की कई गंभीर बीमारियों का खतरा होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि गंदे ईंधन की वजह से महिलाएं जो धुंआ खींचने के लिए मजबूर होती हैं वो एक घंटे में 400 सिगरेट से निकले धुंए के बराबर है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि समाज का एक बड़ा हिस्सा और खासतौर पर गांवों में रहने वाले किस माहौल में जीने के लिए मजबूर रहे।

इस हवा को बदलने के लिए ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली मई को उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की। 15 अगस्त तक 50 लाख से भी ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं और उम्मीद है कि चालू कारोबारी साल यानी 2016–17 में 1.5 करोड कनेक्शन के लक्ष्य को हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। गावों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की महिला को योजना के तहत आवेदन करना होगा। शर्त बस इतनी है कि परिवार में किसी और नाम से गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आवेदन के बाद सामाजिक व आर्थिक आधार पर की गयी जाति की जनगणना (2011) के आधार पर आवेदक की पड़ताल होगी और सभी जानकारी सही पाए जाने पर कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सिर्फ महिलाओं के सशक्तीकरण की कोशिश नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश

सेहत के लिए सरकारी मुहिम

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

उज्जवला योजना जहां ग्रामीण महिलाओ की सेहत सुधारने के साथ उन्हे सशक्त बनाने की कोशिश का एक हिस्सा है तो इसके पहले ग्रामीण इलाको में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक खास मिशन की शुरुआत 2005 में की गई। मकसद था सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वालें को बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया करायी जा सके। इसी के तहत केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नए स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने, मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने, दवाइयां व चिकित्सा उपकरण और एंबुलेंस वगैरह के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

मिशन के तहत जच्चा–बच्चा की बेहतर देखभाल, परिवार नियोजन और टीकाकरण के साथ तपेदिक, वेक्टरजनित रोग जैसे मलेरिया, डेंगू और काला–जार, कुष्ठ जैसे रोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवा मुहैया करायी जाती हैं। इसके साथ ही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य निःशुल्क औषधि मिशन सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा मिशन पहल जैसे कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार पैसा मुहैया कराती है।

साथ ही गांवों में डॉक्टर काम करें, इसके लिए ज्यादा वेतन, विशेष भत्ता, सरकारी आवास जैसी सुविधाएं दी ही जा रही है, वहीं दूरदराज के गांवों और कठिन इलाकों में काम करने वाले सरकारी चिकित्सा अधिकारियों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठयक्रमों में 50 फीसदी आरक्षण का इंतजाम है। साथ ही ऐसी सेवा देने वाली अधिकारी यदि स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान की परीक्षा मे बैठते हैं तो 30 प्रतिशत तक उन्हे प्रोत्साहन अंक मिल सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले के परिवार को एक लाख रुपये तक की बीमा सुविधा मिलेगी। मतलब ये कि निजी और सरकारी अस्पतालों में ऐसे परिवार के किसी भी सदस्य के लिए एक लाख रुपये तक का खर्च सरकार उठाएगी। योजना के दायरे में जहां गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के साथ–साथ मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को शामिल किया गया है, वहीं शहरों में अंसगठित क्षेत्र में काम करने वाले दस किस्म के कामगारों जैसे रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, ऑटो–टैक्सी ड्राइवर वगैरह शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 31 मार्च, 2016 तक 4,13,31,073 स्मार्ट कार्ड चालू हैं। तथा 1,18,41,283 अस्तपाल में इलाज कराने के मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं।

मिशन इंद्रधनुष

25 दिसम्बर, 2014 को शुरु हुए मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य जन्म से लेकर दो साल तक के बच्चों सहित गर्भवती महिलाओं को सात प्रकार की बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाना हैं। इन बीमारियों में डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षयरोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा शामिल हैं। साथ ही इस अभियान के अंतर्गत चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) और हेमोफिलस एन्फ्लुएंजा टाइप बी (एचआईबी) के लिए भी टीके प्रदान किए जाएंगे।

योजना के तहत 2020 तक कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों को बीमारियों से रोकथाम के टीके लगाने हैं। सभी टीके भारत सरकार की तरफ से मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष के पहले चरण में करीब दो करोड़ बच्चों और महिलाओं को टीके लगाए गए। टेटनस टाक्साइड के टीके 20 लाख से अधिक महिलाओं को लगाए गए। दूसरे चरण में भी एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं और बच्चों को टीके लगाए गए। फिलहाल मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण चल रहा है।

'एनएचपी इंद्रधनुष'

एंड्रायड आधारित मोबाइल एप है जोकि किसी भी एंड्रायड 05 वर्जन 2.3 और अधिक में इंस्टाल किया जा सकता है। ये एप जल्दी ही अन्य मोबाइलों के लिए भी लाया जाएगा। यह एप 16 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए अलर्ट करने के लिए बनाया गया है।

का एक हिस्सा भी है। नई योजना जहां ग्रामीण महिलाओं के काम करने की क्षमता बढ़ाएगी, वही इसकी बदौलत कम से कम एक लाख रोजगार के नए मौके बनेंगे। अनुमान है कि अगले तीन सालों के दौरान भारतीय उद्योग के लिए 10 करोड़ रुपये की कारोबारी संभावना बनेगी। साथ ही सिलेंडर, गैस स्टोव, रेग्युलेटर, गैस होज जैसे सामान का उत्पादन बढ़ने से 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मिलेगा। जाहिर है ग्रामीण महिलाओं की सेहत सुधारने की मुहिम कई मामलों में अपना असर छोड़ेगी।

सामाजिक सुरक्षा

बहरहाल, क्या जिंदगी के लिए खतरा सिर्फ रसोई घर या यूं कह लीजिए घर की चारदीवारी तक ही सीमित है? यकीनन नहीं। मोदी सरकार ने भी इस बात को महसूस किया और इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा की तीन खास योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की। तीनों ही योजनाओं में खासा जोर ग्रामीण इलाकों पर रहा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्तवर्ष 2015–16 के अपने बजट भाषण मे इन तीनों योजनाओं को कुछ इस तरह से लोगों के सामने रखा।

"भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग–स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन–किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुःखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं,"।

जन–धन से जन सुरक्षा, इसी नारे के साथ सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाओं की शुरुआत हुई। 10 अगस्त, 2016 तक के आंकड़े बताते हैं देश में जनधन योजना के तहत कुल मिलाकर 23.62 करोड़ बैंक खाते खोले गए जिसमें से 14.49 करोड़ केवल ग्रामीण इलाके में थे। और ये स्थिति आज नहीं, बल्कि अगस्त, 2014 में शुरु हुए जन धन योजना के पहले दिन से है। इसी के आधार पर ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सुरक्षा की पहल मजबूत हुई। फिलहाल, आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं तीनों योजनाओं की खास बातों पर।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – प्रति रुपये प्रतिदिन से कम की दर पर दो लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा का इंतजाम है। बस इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, मसलन आपकी उम्र 18–50 साल के बीच हो, किसी भी बैंक में खाता हो और उस खाते में इतना पैसा हो जिससे 330 रुपये ट्रांसफर किया जा सके। दरअसल, 330 रुपये सालाना प्रीमियम की दर है। खास बात ये है कि पॉलिसी लेने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर काटने या एजेंट से औपचारिकताओं को पूरा कराना जरुरी नहीं, बस बैंक में एक सरल सा फॉर्म भरकर ये स्वीकृति देनी होगी कि बैंक आपका प्रीमियम जमा करा दे। पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत हो जाए या फिर वो आत्महत्या कर ले तो भी उसकी ओर से नामित व्यक्ति को बीमा की रकम मिलेगी। आत्महत्या का प्रावधान जोड़ा जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्महत्या करने वाले किसानों की गिनती तेजी से बढ़ रही है।

फिलहाल, कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। 330 रुपये के प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा एक साल के लिए है। दूसरे शब्दों में, 1 जून, 2016 से 31 मई, 2017 (दोनों तारीख शामिल) के बीच यदि योजना में शामिल व्यक्ति की किसी वजह से मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। बीमित व्यक्ति, बीमा सुरक्षा की अंतिम तारीख तक जीवित रहता है तो उसे ना तो प्रीमियम की रकम वापस मिलेगी और ना ही कोई और रकम। बीमा सुरक्षा का हर साल नवीकरण करना होगा। दूसरे शब्दों में हर वर्ष 31 मई तक या उसके पहले आगे के एक वर्ष के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान एकमुश्त कर देना होगा। मसलन,

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना के तहत अब तक 23 करोड़ 62 लाख खाते खोले गए हैं जिसमें 5 करोड़ 48 लाख खाते जीरो बैलेंस के साथ खोले गए हैं। इस योजना के तहत बैंकों में अब तक 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जमा की गई है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना से 9 करोड़ 40 लाख लोग लाभ उठा रहे हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लगभग 3 करोड़ परिवार लाभ उठा रह हैं।
- अटल पेंशन योजना के तहत 31 दिसंबर 2015 तक खोले गए खातों पर प्रमियम का 80 प्रतिशत सरकार भरती है।
- दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना से 5 लाख 31 हजार स्वयंसहायता संगठन जुड़ कर इसका हिस्सा बन चुके है। 59 लाख परिवार इस योजना से जुड़ कर लाभ उठा रहे हैं।
- उज्जवला योजना के तहत लगभग 50 लाख परिवारों को पिछले 100 दिनों के अन्दर कनेक्शन दिए गए हैं। इस योजना के तहत सवा करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है।

31 मई 2016 तक प्रीमियम चुकाकर, 1 जून 2016 से 31 मई 2017 तक के लिए बीमा सुरक्षा ली जा सकती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना– 18 से 70 साल की उम्र वालों को एक रुपये हर महीने की लागत पर यह बीमा सुरक्षा मिलेगी। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या फिर अपंग हो जाने की सूरत में मुआवजा मिलेगा। मृत्यु हो जाने की स्थिति में योजना में शामिल व्यक्ति के आश्रितों को 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि दुर्घटना की वजह से दोनों आंखें पूरी तरह से खराब हो जाएं और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं हो, दोनों पैर बेकार हो जाएं, एक आंख बेकार हो जाए, या फिर एक हाथ अथवा एक पैर काम करने में अक्षम हो जाए तो 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। वहीं दुर्घटना में एक आंख की नजर पूरी तरह से चली जाए और वहां सुधार की कोई गुंजायइश नहीं हो या फिर एक पैर पूरी तरह से बेकार हो जाए तो एक लाख रुपये का मुआवजा मिल सकता है।

इस योजना में भाग लेने के लिए आपको अपने बैंक से सम्पर्क कर सहमति और स्वतः नामे का फॉर्म जमा करना होगा। सालाना प्रीमियम की रकम यानी 12 रुपये एकमुश्त सीधे आपके खाते से जमा होगा। यहां भी एक बार के प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा एक साल के लिए है और इसे पाने के लिए हर साल 31 मई तक पैसा जमा कराना होगा जिसके बाद 1 जून से अगले साल 31 मई तक आप बीमा सुरक्षा के दायरे में होंगे।

अटल पेंशन योजना – जी–तोड़ मेहनत कर दो जून की रोटी का इंतजाम करने वाले किसान के लिए जिंदगी और भी मुसीबत भरी हो जाती है जब उसके हाथ–पांव कुंद हो जाएं या यूं कह लीजिए कि वो रिटायर हो जाएं। उम्र ढलने के साथ श्रम कर पैसा कमाने का सामर्थ्य तो नहीं रह पाता, लेकिन आवश्यकताएं बनी ही रहती हैं, या यूं कह ले कि बढ़ भी जाती है। ऐसे ही किसानों के लिए खास मददगार हो सकती है अटल पेंशन योजना।

नई योजना के तहत 60 वर्ष की आयु होने पर 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये प्रति माह निर्धारित न्यूनतम पेंशन मिलेगी। यह 18 और 40 वर्ष के बीच दिए गए अभिदान विकल्प पर निर्भर होगा। इस तरह योजना के तहत कम से कम 20 वर्ष या उससे ज्यादा पैसा जमा कराना होगा। कम उम्र में शुरु करने पर हर महीने जमा की जाने वाली राशि कम होगी जबकि ज्यादा उम्र पर ये रकम ज्यादा हो जाएगी। सरकार योजना के तहत कम से कम एक निश्चित पेंशन की गारंटी देगी।

18 वर्ष की उम्र में यदि कोई व्यक्ति इस योजना में 1000 रुपये मासिक पेंशन के लिए शामिल होता है तो उसे हर महीने 42 रुपये जमा कराने होंगे। 5000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 210 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे। ज्यादा उम्र वालों को ज्यादा रकम देनी होगी। मसलन, 1000 रुपये की मासिक पेशन के लिए 40 साल में स्कीम में शामिल होने वालो को हर महीने 291 रुपये और 5000 रुपये की मासिक पेंशन के लिए 1454 रुपये हर महीने जमा कराने होंगे।

चूंकि इन तीनों ही योजनाओं का आधार जन–धन रहा और जन–धन में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा खाते खोले गए, नतीजतन गांव के लोगों ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें फायदा भी मिला। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 11 अगस्त 2016 तक इन तीनों ही योजनाओं में शामिल हुए लोगों की तादाद नीचे तालिका में दी गई है।

योजना	ग्रामीण पुरुष	ग्रामीण महिला	शहरी पुरुष	शहरी महिला	कुल
अटल पेंशन योजना	9,60,970	5,03,192	9,39,262	5,68,098	29,71,522
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	92,90,734	57,54,414	98,26,105	55,33,074	3,04,04,327
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	3,01,68,511	2,02,37,328	2,89,77,317	1,69.76,136	9,63,59,292
कुल	4,04,20,215	2,64,94,934	3,97,42,684	2,30,77,308	12,97,35,141

* वित्त मंत्रालय की ओर से जारी 11 अगस्त, 2016 तक के आंकडे

जहां तक बीमा योजनाओं में दावा करने और निपटारे की बात है तो वहां भी आंकड़े उत्साहजनक हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, पहली अगस्त तक जीवन ज्योति में 36 हजार 600 से भी ज्यादा लोगों (शहर और ग्रामीण मिलाकर) ने दावे किए जिसमें से 31 हजार लोगों का दावा निपटा भी दिया गया। इसी तरह सुरक्षा बीमा योजना के तहत 7 हजार से भी ज्यादा लोगों ने दावा किया और उनमें से 4700 लोगों से भी ज्यादा को मुआवजा मिला।

अब चाहे उज्जवला योजना की बात करे या फिर सामाजिक सुरक्षा की इन तीन योजनाओं की, सभी में एक बात साफतौर पर दिख रही है कि सरकार खैरात नहीं बांट रही। सभी योजनाओं में सरकार कुछ मदद तो करेगी, लेकिन व्यक्ति विशेष को भी योगदान करना होगा। पिछली योजनाओं से यही सबसे बड़ा अंतर है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 21 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में संपादक (कारोबारी मामले) एबीपी न्यूज में हैं।)
ई–मेलः shishir sinha hblshishir@gmail.com

किसानों के लिए नई पहल

—हरवीर सिंह

केवल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी से ही किसानों की आय को तेजी से बढ़ाना संभव नहीं है। इसके लिए समग्र नीति अपनानी होगी। निसंदेह नई योजनाएं किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव की क्षमता तो रखती हैं लेकिन सबसे बड़ा दारोमदार इन योजनाओं को बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने की सरकार की क्षमता पर होगा। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों के बीच सहयोग पर ही इसकी कामयाबी टिकी है। चूंकि नीतियां और योजनाएं केंद्र भले ही बनाए, इनके कार्यान्वयन में सबसे अहम भूमिका राज्यों की है।

केंद्र सरकार के सामने देश की करीब 49 फीसदी आबादी की आर्थिक हालत बदलने की चुनौती है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 तक देश के किसानों की आय को दुगुना करना है। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के 70वें राउंड के मुताबिक देश में एक किसान परिवार की औसत आय 6427 रुपये प्रति माह पर ही अटकी है। यह आय कृषि और दूसरे कामकाज को मिलाकर है। केवल कृषि से होने वाली आय का औसत 3091 रुपये प्रति माह ही है। इसलिए अगर सरकार इस हालत को सुधारने में कामयाब हो जाती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाना संभव है और केवल किसान ही नहीं पूरी ग्रामीण आबादी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव संभव है। असल में सरकार ने इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पिछले दो साल में कई अहम कदम उठाए हैं और कई नई योजनाओं को आने वाले दिनों में लागू किया जा सकता है। अगर यह योजनाएं तेजी से अमल में आती हैं तो कृषि क्षेत्र की विकास दर को एक से दो फीसदी के स्तर से उठाकर सात से आठ फीसदी के स्तर पर ले जाया जा सकता है और उसके चलते 2022 तक आय को दुगुना करने का मुकाम हासिल करना संभव है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को देखा जा सकता है। इस योजना का मकसद हर खेत को पानी पहुंचाना है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना की सीधी निगरानी करेंगे। इस समय देश में कृषि योग्य भूमि का करीब 40 फीसदी ही सिंचित है। अगर इस योजना के जरिए सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुंचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा संभव है। योजना के तहत पांच साल (2015–16 से 2019–20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि सिंचाई की ढांचागत सुविधाओं के विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्तवर्ष के लिए 5300 करोड़ रुपये आवंटित हैं। सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को पानी स्लोगन के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की कैपेसिटी विकसित करना है ताकि पानी की फिजूलखर्ची को कम किया जा सके और सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाया जा सके। इसके तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी। इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा। इसके साथ ही पहले से अधूरी उन सिंचाई परियोजनाओं के लिए अधिक निवेश का प्रावधान किया गया है जिनमें थोड़े से निवेश से ही दो साल में उनको पूरा किया जा सकता है।

कृषि क्षेत्रः कुछ उपलब्धियां

- 1.84 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित; 2018 तक सभी किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य।
- वर्ष 2015–16 में 245 लाख मीट्रिक टन यूरिया का रिकार्ड उत्पादन। पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त उत्पादन।
- मई 2016 से संपूर्ण यूरिया उत्पाद नीम कोटेड बनाना अनिवार्य करने से यूरिया की कालाबाजारी में भारी कमी।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015–16 में 8 पूर्वोत्तर राज्यों को 112 करोड़ 11 लाख रुपये जारी किए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते हर साल भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तैयार फसल भी एक दिन की आपदा में बरबाद हो जाती है। इसके लिए देश में फसल बीमा योजना लागू थी लेकिन उसका पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था और यही वजह है कि फसल बीमा योजना का कवरेज बहुत कम रहा। इसमें जरूरी बदलाव किए गए हैं और प्रीमियम में कटौती से लेकर क्लेम के भुगतान में तेजी और नए जोखिम की कवरेज इसमें जोड़ी गई है। इसके बाद इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से शुरू किया गया। इस योजना को प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी, 2016 को लांच किया था। नई फसल बीमा योजना को चालू वर्ष में खरीफ सीजन से लागू किया गया है। इस योजना में प्रीमियम पहली योजना से काफी कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए 2 फीसदी और रबी फसलों के लिए 1.5 फीसदी प्रीमियम रखा गया है। सरकार के अनुसार इस योजना से उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा जिन्होंने फसल उत्पादन के लिए कर्ज लिया हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स के लिए प्रीमियम को 5 फीसदी रखा गया है। वर्ष 2016–17 के बजट में योजना के लिए 5550 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पहली योजना में प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था जिससे किसानों को कम क्लेम मिलता था। लेकिन इसमें यह हटा दिया गया है तो इसलिए किसानों को पूरी बीमा राशि का क्लेम मिलेगा। हाल ही में इस योजना को लेकर राज्य सरकारों ने बीमा कराने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाए जाने की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इसे 10 अगस्त तक कर दिया था ताकि अधिक किसान इसका फायदा ले सकें। सरकार का उद्देश्य मौजूदा वक्त में 20 फीसदी बीमित किसानों की संख्या को बढ़ाकर 50 फीसदी करना है। 22 राज्यों ने इसे नोटिफाइड कर अपने यहां इसकी शुरुआत कर दी है।

ई–मंडी योजना (ई–नैम)

फसल उत्पादन के बावजूद किसानों की आय बेहतर हो इसको लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और इसकी वजह रही है कि कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में बिचौलियों का कब्जा। इस हालत को बदलने के लिए एक बड़ी पहल हुई है जिसमें किसानों और उपभोक्ताओं और बड़े खरीदारों के बीच के लोगों को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई–नैम) की शुरुआत की गई है। एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए देश की कृषि उत्पादन मंडी समितियों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। ई–नैम से यह योजना 14 अप्रैल 2016 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत में हरियाणा, मध्यप्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की 20 मंडियों को जोड़ने से हुई। यह एक पोर्टल के माध्यम से संचालित होगी। इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों की प्रत्येक मंडी को 30 लाख रुपये की ग्रांट दे रही है। योजना का कुल बजट 200 करोड़ रुपये है। सरकार का लक्ष्य है कि 2018 तक देश की 585 मंडियों को इसके तहत जोड़ा जाएगा। इसके तहत किसान ऑनलाइन फसलों को ऑनलाइन बेच सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इस तरह देश की सभी मंडियों में एक कमोडिटी के एक ही दाम और वाजिब दाम किसान को मिल सकेंगे। इस तरह बेची गई फसल को ऑनलाइन ही किसानों के खाते में जमा कराया जाएगा। लेकिन इसे लागू करने में सबसे अहम भूमिका राज्यों की है। इसके लिए जहां एग्रीकल्चर मार्केट प्रॉड्यूस कमेटी (एपीएमसी) एक्ट में बदलाव लाना है वहीं केंद्र की मदद से इलैक्ट्रॉनिक और स्टोरेज की ढांचागत सुविधाएं विकसित करनी हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत सस्ता कर्ज

किसान क्रेडिट कार्ड योजना करीब डेढ़ दशक पुरानी योजना है। इस योजना को पिछली एनडीए सरकार ने लागू किया था। इसके तहत सरकार किसानों को सस्ता फसल कर्ज मुहैया कराती है। इस योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण 7 फीसदी की सामान्य ब्याज दर पर मिलता है। इसमें सरकार की ओर से ब्याज दरों पर 4 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। अगर किसान समय से ऋण लौटा देता है तो उसे ऋण सिर्फ 3 फीसदी की ब्याज दर पर ही मिलता है। चालू वित्त वर्ष (2016–17) के लिए सरकार ने 18276 करोड़ रुपये की ब्याज छूट देन (इंटरेस्ट सबवेंशन) का प्रावधान किया है। किसानों को ब्याज छूट देने के लिए केंद्र सरकार बैंकों को यह राशि देती है।

सॉयल हेल्थ कार्ड योजना

किसानों द्वारा उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक बड़ी चुनौती रही है। केमिकल फर्टिलाइजर के गैर–जरूरी उपयोग के चलते भूमि की उर्वराशक्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसका असर फसलों की उत्पादकता पर भी पड़ रहा है। इस हालत में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2015 में पूरे देश में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत खेतों की मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को मिट्टी का हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसान जरूरत के हिसाब से अपने खेतों में फर्टिलाइजर और दूसरे न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर सकें। इसके चलते जहां सॉयल हैल्थ सुधरेगी वहीं किसानों की बचत भी होगी। योजना के तहत 3 सालों में पूरे देश में 14 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड किसानों को जारी किए जाएंगे। इस योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में स्थानीय स्तर पर लैब और मोबाइल लैब के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत जुलाई 2016 तक 1.84 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

केंद्र सरकार का एक बड़ा फोकस परंपरागत खेती पर है। इसके तहत आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ोतरी के विकल्प पर जोर देना है. वहीं इसके जरिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टीसाइड के उपयोग में कमी लाना है। योजना के केंद्र में देश के छोटे और सीमांत किसानों के विकास को रखा गया है। इस योजना के तहत देश में परंपरागत साधनों से ऑर्गेनिक खेती किए जाने को बढ़ावा दिया जाना है। लघु सिंचाई, कंपोस्ट खाद के उपयोग को मजबूत करना है। इसमें विलेज क्लस्टर बनाए जाने हैं जिनमें प्रत्येक कलस्टर में 50–50 किसानों को शामिल किया जाना है। कुल मिलाकर देश में 10 हजार कलस्टर बनाए जाने हैं जिसमें 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि का लक्ष्य रखा गया है। सिक्किम को इस योजना के तहत कंपोस्ट जोन घोषित किया जा चुका है। योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसमें से इस साल 197 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

नीम कोटेड यूरिया योजना

केंद्र सरकार फर्टिलाइजर पर बड़े स्तर पर सब्सिडी देती है। लेकिन कई बार सब्सिडी लीकेज के मामले सामने आते रहे हैं। यूरिया का डायवर्जन इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा देने का कदम उठाया है। इसके चलते जहां सब्सिडी लीकेज पर अंकुश लगेगा वहीं नीम कोटेड यूरिया फसलों को बीमारियों से बचाने में भी कारगर है। जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने सभी फर्टिलाइजर कंपनियों को 100 फीसदी नीम कोटेड यूरिया बनाने की इजाजत दी थी। इससे पहले कंपनियां सिर्फ 35 फीसदी ही नीम कोटेड यूरिया बना सकती थीं। सरकार के अनुसार इससे यूरिया का इंडस्ट्रीज में होने वाला दुरुपयोग बच जाएगा। इसके साथ ही नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की खपत 10 फीसदी तक कम हो जाएगी। यानी जिस खेत में 100 किलोग्राम यूरिया डाला जाना है उसकी जगह सिर्फ 90 किलोग्राम से ही काम चल जाएगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से देश पर 6500 करोड़ रुपये की सब्सिडी का बोझ कम हो जाएगा।

किसानों के लिए मोबाइल एप

- **किसान सुविधा मोबाइल एप**–किसान सुविधा मोबाइल एप प्रधानमंत्री द्वारा 19 मार्च 2016 से जारी किया गया जो किसानों को मौसम, कीमत, बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की जानकारी देता है; 2500 से अधिक किसान इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं।
- **एग्रीमार्केट मोबाइल एप**–50 किमी. के दायरे में आने वाले बाजारों में फसलों की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए।
- **फसल बीमा मोबाइल एप–**इस एप से किसान अपने फसल बीमा से संबंधित जानकारी के साथ कवरेज एवं अधिसूचित फसल हेतु अपने प्रीमियम की गणना कर सकते हैं।
- **पूसा कृषि मोबाइल एप–**भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा विकसित फसलों की उन्नत किस्मों तथा नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी प्राप्त होगी।
- **भुवन हैल्स्टॉर्म मोबाइल एप–**इस एप से ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं।

इन योजनाओं के अलावा सरकार ने पशुपालन क्षेत्र में भी किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं और हॉर्टिकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें फल–सब्जियों के उत्पादन और उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है और फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना के लिए वित्तीय मदद दी जा रही है। साथ ही कृषि भूमि के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और मैपिंग पर काम चल रहा है ताकि इस बात की पूरी जानकारी हो कि कृषि भूमि का वास्तविक उपयोग किस तरह से हो रहा है और इस समय इसका आकार क्या है। पिछले कई साल में उद्योगीकरण और नगदीकरण और अरबनाइजेशन के चलते कृषि योग्य भूमि में काफी कमी आई है लेकिन अभी इसके नवीनतम आंकड़े नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेलः harvirpanwar@gmail.com

ETEN IAS
Preparing Civil Servants

In Association with
KSG
An Institute for IAS Exam...

Personalised. Powerful. Proven

Civil Services Examination 2017 preponed. Join now to prepare early !

New Batches Starting

General Studies (Pre + Main) English Medium
Batch 1 - Sep, 7.30 am to 10.30 am, 7 Days / Week
Batch 2 - Sep, 5 pm to 8 pm, 7 Days/Week
Batch 3 - Sep, Weekend (Saturday & Sunday)

General Studies (Pre + Main) Hindi Medium
Sep, 10 am to 1 pm, 7 Days / Week

Optional Subjects English Medium 12th September	
History 11 am	Pud Ad 2.30 pm

100+ Ranks* in Civil Services Examination-2015

AIR-1
TINA DABI
Civil Service Examination - 2015

AIR-2
ATHAR AAMIR UL SHAFI KHAN
Civil Service Examination - 2015

*from the house of KSG

JOIN THE LEAGUE OF ACHIEVERS !

ETEN IAS Centers: Agra, Aizawl, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bareilly, Bhilai, Bhilwara, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Guntur, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jabalpur, Jaipur, Jalandhar, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kolkata, Kozihikode, Lucknow, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Patna, Pune, Raipur, Ranchi, Rohtak, Salem, Tirupati, Trivandarum, Varanasi, Vijayawada, Vizag

Toll free: 1800 1038 362 • SMS IAS to 567678 • Call: 9654200517/23 • Website: www.etenias.com

Excellent Franchise opportunity of ETEN IAS KSG is available in following locations: Agra, Ahmedabad, Aligarh, Allahabad, Arunachal Pradesh, Bangalore, Bhubaneswar, Bikaner, Ernakulam, Jaipur, Jamshedpur, Kanpur, Kohima, Kolkata, Kota, Mangalore, Mumbai, Patiala, Pune, Secunderabad, Shillong and Surat

For Franchise details, call Mr. Manav Aggarwal
Product Head: +91 9958 800 068 or email: manav.aggarwal@pearson.com

ALWAYS LEARNING
PEARSON

ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु उठाए गए कदम

—प्रभांशु ओझा

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 68 फीसदी आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। संभवतः इसी कारण ग्रामीण जनजीवन का सामाजिक–आर्थिक उत्थान और गांवों में रोजगार की संभावनाएं सुनिश्चित करना प्रत्येक सरकार का लक्ष्य होता है। वास्तव में ग्रामीण सशक्तीकरण की अवधारणा सही मायनों में तभी साकार हो सकती है जब ग्रामीण आबादी को सामाजिक–आर्थिक विकास और रोजगार के बराबर अवसर मिलें। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए कालांतर में पूर्व केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जैसे दूरगामी प्रभाव वाली पहल की थी। ठीक इसी क्रम में वर्तमान केंद्र सरकार ने भी ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान और रोजगार हेतु अनेक पहलें की हैं जिनसे ग्रामीण विकास की अवधारणा को नई ऊंचाई मिली है। ग्रामीण भारत को मुख्यधारा विकास से जोड़ने वाली ये सभी पहलें सर्वांगीण विकास की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करती हैं।

ग्राम उदय से भारत उदय

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्यप्रदेश के महू से ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत की थी। यह केंद्र सरकार का ऐसा कार्यक्रम है, जिसे गांवों में पंचायती राज की मजबूती के उद्देश्य से शुरू किया गया इसका लक्ष्य सामाजिक समरसता, महिला सशक्तीकरण और किसानों की दशा में सुधार करना था। इस अभियान के तहत 14 अप्रैल 2016 से 24 अप्रैल 2016 तक देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। 24 अप्रैल को पंचायतीराज दिवस के दिन जमशेदपुर में प्रधानमंत्री ने अभियान समाप्त किया। इस अभियान के तहत देशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें ग्रामीण विकास, किसानों की दशा सुधारने, अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और सामाजिक समरसता पर चर्चा हुई। भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय,पंचायतीराज, कृषि, सामाजिक न्याय, श्रम, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस अभियान को संचालित किया।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास के बल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू–जीकेवाई)

के कार्यान्वयन से देश के समावेशी विकास के लिए इस राष्ट्रीय एजेंडे पर जोर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं।इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। इस योजना के तहत सामाजिक तौर पर वंचित समूहों (अजा/अजजा 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत, महिला 33 प्रतिशत) को अनिवार्य रूप से शामिल करने का लक्ष्य रखते हुए कम से कम 75 प्रतिशत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करना है। इस तरह योजना का जोर रोजगार स्थायी करने, आजीविका उन्नयन और विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ–प्रदर्शन के उपाय करने पर है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

मुद्रा का पूरा नाम माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फंड रिफाइनेंस एजेंसी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में मुद्रा बैंक की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने एक मुद्रा (सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी) बैंक खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पास 20,000 करोड़ रुपये की राशि और 3,000 करोड़ रुपये की साख गारंटी राशि होगी।

मुद्रा बैंक बुनियादी तौर पर छोटी इकाइयों को वित्त उपलब्ध कराने की नीति बनाएगा और छोटी इकाइयों को कर्ज देने के लिए फंड उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन तरह के ऋण दिए जाएंगे। ये तीन प्रकार के ऋण शिशु, किशोर और तरुण होंगे। शिशु योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे। उसी प्रकार किशोर योजना के तहत 50 हजार रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण दिये जायेंगे और तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के ऋण दिए जाएंगे।

ग्रामीण सशक्तीकरण के लिए यह योजना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को फायदा पहुंचाना है। देश भर में तकरीबन 5.77 करोड़ छोटी कारोबारी इकाइयां हैं, जो छोटे विनिर्माण, व्यापारिक एवं सेवा व्यवसायों का संचालन करती हैं। इनमें से 62 फीसदी इकाइयों का स्वामित्व एससी/एसटी/ओबीसी के हाथों में है। कड़ी मेहनत करने वाले इन उद्यमियों को कर्जों की औपचारिक प्रणालियों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को कर्ज की लिए किसी भी गारंटर या जमानत की आवश्यकता नहीं।
- मुद्रा योजना में स्वीकृत ऋणों की संख्याः 3,48 करोड़, स्वीकृत राशिः 1.37.449 करोड़ रुपये।

कौशल विकास पहल

- ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए प्रशिक्षण के बाद सीधे रोजगार दिलाने की पहल।
- कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए 25,696 रुपये से लेकर 1,22,363 रुपये तक की प्रत्येक युवा के लिए सरकारी सहायता। डीडीयूजीकेवाई, बीपीएल, आवासीय, पोस्ट प्लेसमेंट सहायता 2 से 2.5 लाख।
- 21 राज्यों में 1100 स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्रों में 724 कौशल विकास प्रशिक्षण से 568 जिलों के युवाओं को फायदा।
- दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना द्वारा 3.56 लाख युवाओं को प्रशिक्षण, 1.88 लाख युवाओं को मिली नौकरी।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के विभिन्न कौशल विकास पाठ्यक्रमों में अब तक 19.66 लाख युवा प्रशिक्षित।
- देश के 34 लाख युवाओं के लिए 5000 से 1.5 लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून, 2011 में आजीविका–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की शुरुआत की थी। आजीविका–एनआरएलएम का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है।

आजीविका–एनआरएलएम ने स्वसहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख

ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। इसके अतिरिक्त गरीब जनता को अपने अधिकारों और जनसेवाओं का लाभ उठाने में, तरह–तरह के जोखिम उठाने में और सशक्तीकरण के बेहतर सामाजिक संकेतकों को समझने में मदद मिलेगी। अभियान का उद्देश्य गरीबों की सहज क्षमताओं का सदुपयोग और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सुनिश्चित करना है। इसके लिए उनकी सूचना, ज्ञान, कौशल, संसाधन, वित्त तथा सामूहिकीकरण से जुड़ी क्षमताएं विकसित होना अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अगस्त, 1995 से अस्तित्व में आया, संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 में वर्णित नीति–निदेशक सिद्धांतों को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को, वृद्धावस्था, प्रमुख जीविकोपार्जक की मृत्यु और मातृत्व के मामले में सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के तीन घटक हैं–

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजनाः विभिन्न संबंधित निकायों से प्राप्त सुझावों और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया के आधार पर 1998 में इन योजनाओं में आंशिक संशोधन किया गया।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शत–प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे लाभ के अतिरिक्त सामाजिक सहायता का न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना है, जो राज्य पहले से दे रहे हैं अथवा भविष्य में प्रदान करेंगे। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन और बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था हेतु संचालित योजनाओं के साथ सामाजिक सहायता उपायों को जोड़ने के अवसर प्रदान करता है। विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन को वृद्ध गरीबों के लिए चिकित्सा देखभाल और अन्य लाभों के साथ जोड़ा जा सकता है। ऐसे गरीब परिवारों, जिनका आजीविका कमाने वाला नही रहा हो, को परिवार लाभ योजना के अतिरिक्त स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी सहायता दी जा सकती है। मातृत्व सहायता को जच्चा–बच्चा देखभाल कार्यक्रम से जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास छात्रवृत्ति योजना

प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट फेलोज (पीएमआरडीएफ) योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में विकासधारा से वंचित क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जिला प्रशासन को सहयोग देने के लिए चलाई जा रही है। दीर्घकाल में इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए प्रोफेशनल्स का ऐसा अखिल भारतीय संवर्ग या कैडर विकसित करना है जो गरीबों और वंचित समुदायों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध हो। पीएमआरडीएफ योजना के तहत ग्रामीण आबादी के कमजोर वर्गों की सेवा करने की इच्छा रखने वाले शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी भी क्षेत्र में कुछ व्यावसायिक अनुभव वाले होनहार युवाओं का चयन किया जाता है जो जिला प्रशासन को कार्यक्रम क्रियान्वयन में सुधार या बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। पीएमआरडीएफ के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से कृषि, पशुपालन, इंजीनियरिंग, मेडिसिन्स आदि विषयों में चार वर्ष की स्नातक डिग्री या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री (जिनके पास स्नातक डिग्री तीन वर्ष या उससे कम की है) निर्धारित की गई तथा कुछ वर्ष के अनुभव को प्राथमिकता दी गई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोज योजना के लिए प्राप्त भारी संख्या में युवाओं के आवेदन, प्रशिक्षण के दौरान उनकी कर्मठता तथा प्रशिक्षण के बाद जिलों में पदस्थापना के बाद उनकी कर्मठता, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई पीएमआरडी फेलोज योजना की सार्थकता का प्रतीक है।

भारत सरकार द्वारा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को फेलोज के चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा परीक्षा आयोजित करने एवं चयनित युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) लाभ सीधा खाते में

- पहल (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है।
- जेएएम (जन धन, आधार और मोबाइल) द्वारा डीबीटी हस्तांतरण में भारी बदलाव आया है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा 59 योजनाओं को सब्सिडी और सीधा लाभ पहुंचाया।
- 31 करोड़ लाभार्थियों तक 61,822 करोड़ रुपये का सीधा लाभ पहुंचाया जा चुका है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत विभिन्न सुधारात्मक पहलों के कारण फर्जी लाभार्थियों और लीकेज को खत्म कर 36,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

- 8–9 करोड़ घरों तक पहुंचना, उन्हें महिला स्वयं–सहायता समूह में संगठित करना और उनकों वित्तीय संसाधन हासिल करने लायक बनाना; उनकी आजीविका को उन्नत करना, तथा उन्हें गरीबी की स्थिति से बाहर निकलने में सहायता करना इस योजना का उद्देश्य है।
- 59 लाख घरों को इस कार्यक्रम के तहत लाया गया है और 5.31 लाख स्वयं–सहायता समूह बनाए गए। इससे गरीबों के जीवन में व्यापक सुधार हुआ है। 2.59 लाख स्वयंसहायता समूहों को 363.71 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।
- 1.60 लाख स्वयंसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश फंड के रूप में 743.87 करो़ड़ रुपये आवंटित किए गए।
- 4.05 लाख शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 93.800 लोगों को निजी और सामुहिक सूक्ष्म उद्यम लगाने में मदद की गई।
- 1.05 लाख स्वयंसहायता समूह गठित, 96,000 स्वयंसहायता समूहों को कर्ज दिए गए।
- बेघरों के लिए 770 आश्रयगृह स्वीकृत, 270 आश्रयगृह शुरु किए।

सहयोगी चुना गया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंज द्वारा प्रथम चरण में आइकेट परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करके उम्मीदवारों का चयन किया जाता है तथा इसके बाद अत्यधिक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से उम्मीदवारों का फेलोशिप के लिए चयन किया जाता है। चुने गए उम्मीदवारों को काम पर तैनात करने से पहले दो महीने का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसके पश्चात जिलों में चार सप्ताह की प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) दी जाती है । भारत सरकार द्वारा फेलोज को प्रशिक्षण अवधि के दौरान कुल 50,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड तथा पहले वर्ष 75,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड दिया जाता है । फेलोशिप के दूसरे एवं तीसरे वर्ष में प्रदर्शन संतोषजनक होने की स्थिति में 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है। फेलो जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करते हैं। फेलो को कार्यालय और परिवहन सुविधाएं जिला प्रशासन उपलब्ध कराता है।

स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया

युवाओं के लिए उद्यमशीलता और नए रोजगार सृजन के अवसरों पर कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 को एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की इस योजना के अनुसार, कम्पनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि वो अधिक रोजगारों का सृजन कर सकें। स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया अभियान युवाओं (विशेष रुप से महिलाएं, दलित या आदिवासी) को शुरुआत के लिए बैंक वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जाएगा। इस पहल से दलित, आदिवासी और महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा योजना बनाई गई है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विनिर्माण इकाइयों के प्रोत्साहन की सुविधा भी है। इस तरह के प्रोत्साहनों का हार्दिक स्वागत होता है क्योंकि वो आर्थिक वृद्धि, लोगों के जीवन में सुधार और भारत को एक विकसित देश बनाने को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। स्टार्टअप का अर्थ देश के उन युवाओं से है जो आर्थिक रुप से खड़े होने की क्षमता रखते हैं, हालांकि सरकार से कुछ मदद की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम से सभी नये प्रतिभाशाली उद्यमियों के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी जो भारत का नेतृत्व करेंगे। कम से कम एक दलित या आदिवासी उद्यमी और एक महिला उद्यमी को भारत में प्रत्येक 125 बैंकों की शाखाओं से समर्थित किया जाएगा।

मेक इन इंडिया

भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली से की थी। वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का योगदान 15 प्रतिशत है। मेक इन इंडिया अभियान का लक्ष्य एशिया के अन्य विकासशील देशों की तरह इस योगदान को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना है। इस प्रक्रिया में सरकार को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा और भारत को विनिर्माण केंद्र में तब्दील किया जा सकेगा। मेक इन इंडिया को बेहतर बनाने के लिए 'डिजिटल इंडिया' को भी मजबूत करने की योजना है। इस अभियान की सफलता रोजगार पैदा करने और गरीबी हटाने की रणनीति के साथ अंतःसंबद्ध है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य के तौर पर ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीब लोगों में समग्र विकास के लिए समुचित कौशल का निर्माण करना चिन्हित किया गया है। इसके अलावा देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16 से 25 प्रतिशत करने और विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 10 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है।

(शोधार्थी, हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय)
ई–मेलः prabhanshukmbc@gmail.com

रुर्बन मिशनः प्रावधान एवं कार्यात्मक चुनौतियां

—डॉ. महीपाल

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य कलस्टर के अंतर्गत निर्धारित गांवों को 'स्मार्ट गांव' बनाना है। मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखा जाएगा।

परिचयः भारत के वित्तमंत्री ने जुलाई, 2014 में अपने बजट भाषण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की घोषणा करते हुए कहा था कि गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के शहरीकरण का रुर्बन विकास मॉडल सफल रहा है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोग संरचनात्मक सुविधाएं और उससे जुड़ी सेवाएं पा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित परियोजना–आधारित संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी जिसमें आर्थिक कार्यकलापों का विकास और कौशल विकास भी शामिल होगा। वित्तपोषण के लिए विभिन्न स्कीमों की निधियों का उपयोग करते हुए सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से लाभ प्रदान करने को वरीयता दी जाएगी।

घोषणा के बाद विभिन्न 'स्टेकहोल्डरों' के बीच चर्चा एवं वर्कशॉप हुई कि इस मिशन को कैसा रूप दिया जाए। अन्ततः मिशन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के बाद भारत सरकार ने 16 सितम्बर 2015 को 5142.08 करोड़ रुपये के परिव्यय से श्यामा प्रसाद मुखजी रुर्बन मिशन (इसके बाद रुर्बन मिशन) को स्वीकृति दी। स्वीकृति के बाद निर्णय लिया गया कि अगले पांच वर्षों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में लगभग 300 ऐसे रूर्बन कलस्टरों का विकास किया जाएगा।

कलास्टर प्रोफाईलः कलस्टर के मौजूदा प्रोफाईल का वर्णन दो स्तर पर किया जाना है। सामान्य प्रोफाईल जिसमें जनसांख्यिकी, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक प्रोफाईल शामिल है। घटकानुसार प्रोफाईल में रुर्बन मिशन के तहत 14 घटकों का वर्णन शामिल है।

रुर्बन मिशन का उद्देश्यः मिशन का उद्देश्य 300 रुर्बन कलस्टर अर्थात ग्रामीण संवृद्धि कलस्टर तैयार करना है, जिनकी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास करने की काफी संभावनाएं हैं। इन कलस्टरों में समग्र विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराके, कौशल प्रशिक्षण एवं स्थानीय उद्यमशीलता को विकसित करके तथा संरचना

संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराके इन कलस्टरों को विकसित करना है।

इन कलस्टरों में अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करके एवं विभिन्न योजनाओं में तालमेल करके संसाधनों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन कलस्टरों का सकेंद्रित विकास करने के लिए मिशन के तहत आवश्यक पूरक वित्तपोषण का भी प्रावधान है। ये कलस्टर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले आयोजना मानदंडों (जैसाकि राज्य नगर और प्रदेश आयोजना अधिनियमों/केंद्र या राज्य के इसी प्रकार के अधिनियमों में निर्धारित हैं) के आधार पर तैयार किए गए सुनियोजित 'लेआउट' के अनुसार बनाए गए सुव्यवस्थित क्षेत्र होंगे। इन योजनाओं को अंत में जिला मिशन/मास्टर योजना के साथ जोड़ने का प्रावधान है। अर्थात रुर्बन मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास करना, आधारभूत सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन कलस्टरों का सृजन करना है।

विज़नः 'अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के कलस्टर को 'रुर्बन गांवों' के रूप में विकसित करना है।'

रुर्बन कलस्टर का चयनः रुर्बन कलस्टर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5000 से 15000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक–दूसरे के समीप गांवों का एक कलस्टर होगा। जहां तक संभव हो, गांवों का कलस्टर, ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक अधिकरण की इकाई होगा और यह प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी एक ब्लॉक/तहसील के कार्यक्षेत्र में होंगे।

मिशन के घटकः रुर्बन मिशन के तहत, राज्य सरकार मौजूदा केंद्र प्रायोजित, केंद्रीय क्षेत्र की या राज्य सरकार की योजनाओं का निर्धारण करेगी और उनके समेकित एवं समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए उनके बीच तालमेल बिठाएगी। रुर्बन कलस्टर के विकास में शामिल करने के लिए 14 अनिवार्य घटकों का सुझाव दिया गया है जो निम्न हैं–

(i) आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ा कौशल विकास प्रशिक्षण (ii) कृषि संसाधन, कृषि सेवाएं, संग्रहण, मालगोदाम (iii) स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं (iv) स्कूली शिक्षा सुविधाओं का उन्नयन (v) स्वच्छता (vi) पाइपों द्वारा जलापूर्ति (vii) ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (viii) गांवो में गलियां और नालियां (ix) स्ट्रीट लाइट (x) गांवो के बीच सड़क संपर्क (xi) सार्वजनिक परिवहन (xii) एलपीजी गैस कनेक्शन (xiii) पूर्ण डिजिटल साक्षरता (xiv) नागरिक सेवा केंद्र–जनकेंद्रित सेवाओं/ई–ग्राम कनेक्टिविटी की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी।

इसके अतिरिक्त, अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी अन्य राज्य या केंद्र सरकार की उन अन्य योजनाओं के साथ अतिरिक्त तालमेल की व्यवस्था कर सकती हैं, जो उपर्युक्त अनिवार्य घटकों में शामिल नहीं हैं। तालमेल संबंधी इस व्यवस्था को ग्राम पंचायतों से विधिवत परामर्श के बाद निर्धारित किया जा सकता है।

समेकित कलस्टर कार्ययोजनाः समेकित कलस्टर कार्ययोजना बेसलाईन अध्ययनों पर आधारित एक मुख्य दस्तावेज होगा जिसमें कलस्टर की जरूरतों का ब्यौरा और इन जरुरतों को पूरा करने तथा इसकी संभावनाओं को बढ़ाने वाली मुख्य पहलों को दर्शाया गया होगा।

राज्य सरकार जिला कलेक्टरों/जिला परिषदों और संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के साथ गहन परामर्श करके कार्ययोजना तैयार करेगी और इसमें सभी संबंधित 'स्टेकहोल्डरों' की भागीदारी और उनका स्वामित्व सुनिश्चित करेगी। कलस्टर कार्ययोजना के तहत निम्न का उल्लेख होगा– (i) कलस्टर में निर्धारित की गई प्रत्येक ग्रामसभा के लिए विज़न को समाहित करते हुए कलस्टर की कार्यनीति। (ii) रुर्बन मिशन के तहत कलस्टर के लिए वांछित घटक। (iii) विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र, केंद्रीय प्रायोजित और राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत तालमेल किए जाने वाले संसाधन। (iv) कलस्टर के लिए अपेक्षित आवश्यक पूरक वित्तपोषण। (v) संपूर्ण कलस्टर के लिए एक विस्तृत स्थानिक योजना।

रूर्बन कलस्टर के विकास को सही दिशा देने के लिए समेकित कलस्टर कार्ययोजना तैयार की जाएगी इसके अन्तर्गत दो घटक होंगे (i) सामाजिक–आर्थिक एवं संरचनात्मक घटक (ii) स्थानिक योजना घटक।

तालिका–1 कलस्टर के अन्तर्गत जरुरतों का विश्लेषण एवं निर्धारण में कमियों या आवश्यकताओं को दर्शाती है। इसमें चार मुख्य बातों का समावेश है– (i) कलस्टर में सम्रग विकास के लिए 14 वांछनीय घटक (ii) उन घटकों से सम्बन्धित मौजूदा स्थिति (iii) वांछनीय–स्तर अर्थात कलस्टर में हस्तक्षेप के बाद विकास का स्तर या उन वांछनीय घटक की परिवारों तक पहुंच। (iv) कमियों/आवश्यकताओं का स्तर अर्थात तालिका के कालम ख व ग का अन्तर। तालिका के घ कॉलम में कमियों का स्तर ही कलस्टर की कार्ययोजना को निर्धारित करेगा। विभिन्न स्कीमों का 'कन्वर्जेंस' तथा विभिन्न हितधारकों से सलाह–मशविरा करने के बाद ही आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सी.जी.एफ.) का निर्धारण किया जाएगा। जैसाकि पहले भी जिक्र किया गया है, कि कार्ययोजना के कुल परिव्यय का 70 प्रतिशत वर्तमान में लागू स्कीमों के 'कन्वर्जेंस' से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 30 प्रतिशत रुर्बन मिशन के द्वारा दिया जाएगा।

तालिका–1

कलस्टर के लिय जरुरतों के विश्लेषण एवं निर्धारण में कमियों की रूपरेखा

	क	ख	ग	घटक–घ
क्र.स.	वांछनीय घटक	मौजूदा स्थिति	वांछनीय स्तर	कमी/आवश्यकता
1.	आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण	गांवों में मौजूदा कौशल (हस्शिल्प/हथकरघा/औद्योगिक आदि) परिवार स्तर पर दक्ष सदस्यों की संख्या	कम से कम 70% परिवारों में प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी	क्षेत्र के संबंध में प्रशिक्षण और उम्र के हिसाब से प्रशिक्षण दिए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।
2.	कृषि–सेवाएं और प्रसंस्करण	कलस्टर में वर्तमान में मौजूदा कृषि–सेवा और प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा (भंडारण संबंधी अवसंरचना सहित)		किसी भी कृषि आधारित सेवा/ उद्योगें को सहायता का निर्धारण करना/ भंडारण संबंधी अवसंरचना
3.	डिजिटल साक्षरता	पारिवारिक एवं ग्राम–स्तर पर कोर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना सहित सामान्य डिजिटल साक्षरता स्तरों के संबंध में मौजूदा स्तरों का उल्लेख किया गया	प्रत्येक परिवार में कम से कम एक ई–साक्षर व्यक्ति	कलस्टर के अंतर्गत जिन लोगों को डिजीटली साक्षर बनाया जाना है, उनकी संख्या का निर्धारण करना।
4.	हर समय (24x7) पाइप द्वारा जलापूर्ति	परिवार स्तर पर जल आपूर्ति के मौजूदा स्तर	वर्षभर प्रत्येक परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपी सीडी) स्वच्छ पेयजल	परिवार स्तर पर संवर्धित आवश्यकताओं और संवर्धित स्रोत/ संचरण/वितरण के प्रकार का निर्धारण करना।
5.	स्वच्छता	गांवों में परिवार–स्तर पर व्यक्तिगत शौचालय की कवरेज	शत–प्रतिशत परिवारों में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	उन परिवारों की संख्या का निर्धारण करना जिन्हें व्यक्तिगत शौचालय के साथ कवर किया जाना है।
6.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन	पारिवारिक/ग्रामीण एवं कलस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मौजूदा व्यवस्था	परिवार स्तर पर संग्रहण, कलस्टर स्तर पर ट्रीटमेंट	संग्रहण/परिवहन / ट्रीटमेंट स्तर पर डब्ल्यूएम सुविधाओं का निर्धारण करना।
7.	नालियोंयुक्त गांव में गलियों की मौजूदगी	नालियों युक्त गांव की गलियों की मौजूदा कवरेज़	गांव की सभी गलियों में नालियों को बनाया जाना	नालियों के साथ कवर की जाने वाली गलियों की लंबाई का निर्धारण करना।
8.	विलेज स्ट्रीट लाइट्स	लाइटों से गांव की गलियों की कवरेज	मानकों के अनुसार गांव की सभी गलियों को स्ट्रीट लाईट के साथ कवर किया जना।	उपलब्ध कराई जाने वाली स्ट्रीट लाइट की संख्या का निर्धारण करना।
9.	स्वास्थ्य	परिवार एवं ग्रामीण स्तर पर क्लीनिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों की मौजूदगी	मानकों के अनुसार स्वास्थ्य अवसंरचना की मौजूदगी	मोबाईल हेल्थ यूनिट की आवश्यकता का निर्धारण करना।
10.	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन	कलस्टर में मौजूद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या और मौजूदा स्थिति।	सभी बसावटों से उचित दूरी पर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का प्रावधान सुनिश्चित करना, जिसमें पेयजल सुविधा, शौचालय ब्लॉकों (बालक और बालिकाओं के लिए अलग–अलग) और पर्याप्त का प्रावधान हो।	प्राथमिक एंव माध्यमिक मिद्यालयों में आवश्यकताओ/नई सुविधाओं के उन्नयन का निर्धारण करना।
11.	गांवों के बीच सड़क संपर्कता	कलस्टर में गांवों के बीच सड़क संपर्कता एवं सार्वजनिक परिवहन	सभी गांवों के बीच सड़क संपर्कता सुनिश्चित करना।	गांवों के बीच नई सडक संपर्कता का निर्धारण करना।
12.	नागरिक सेवा केंद्र	ग्राम–स्तर पर मौजूदा नागरिक सेवा केंद्रो की संख्या	2 से 3 गांवों में एक आईसीटी युक्त फ्रंट एंड साझा सुविधा केंद्र (सीएससी)	कलस्टर के लिए आवश्यक सीएसी की संख्या का निर्धारण करना।
13.	सार्वजनिक परिवहन	ग्राम के अंदर और बाहर सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता का मौजूदा स्तर	ब्लॉक से लेकर प्रत्येक गांव तक सार्वजनिक परिवहन	प्रत्येक गांव में सार्वजनकि परिवहन को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता।
14.	एलपीजी गैस कनेक्शन	परिवार स्तर पर एलपीजी कनेक्शन की उपलब्धता।	प्रति गांव या 1800 परिवारों के लिए एक एलपीजी वितरण केंद्र	कलस्टर में अतिरिक्त वितरण केंद्रों की आवश्यकता।

तालिका–1 के ग कालम पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत यह माना है कि कलस्टर के कुल परिवारों में से कम से कम 70 प्रतिशत परिवारों में प्रत्येक परिवार से एक लाभार्थी होगा। इसी प्रकार डिजिटल साक्षारता के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति ई–साक्षर होगा। पानी के लिए यह माना गया है कि वर्ष भर प्रत्येक परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एल.पी.सी.डी.) स्वच्छ पेयजल मिलेगा। स्वच्छता के अन्तर्गत शत–प्रतिशत परिवारों में पारिवारिक शौचालय होगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए परिवार एवं कलस्टर स्तर पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। गांव की सभी गलियों में नालियां बनाई जाएंगी। दो या तीन गांव पर नागरिक सेवा केन्द्र बनाया जाएगा तथा प्रति गांव 1800 परिवारों पर एक एल.जी.पी. वितरण केन्द्र बनाया जाएगा।

परियोजना का वित्तपोषणः कलस्टर के लिए राज्यों द्वारा तैयार की गई और अधिकार–प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित की गई समेकित कलस्टर कार्ययोजना (आई.पी.ए.पी.) के माध्यम से निर्धारित की गई आवश्यकताओं के आधार पर कलस्टर कार्य करेगा। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं और राज्य योजनाओं से तालमेल के माध्यम से जुटाई गई निधियों को पूरा करने के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 30 प्रतिशत राशि आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) के रूप में उपलबध कराई जाएगी। मैदानी क्षेत्रों के लिए परियोजना पूंजी व्यय का 30: या 30 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, निर्धारित किया जाएगा। मरूभूमि, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में परियोजना पूंजी व्यय का 30 प्रतिशत या 15 करोड़ रुपये, जो भी कम होगा, निर्धारित किया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनाः विस्तृत परियोजना तैयार किए जाने और रुर्बन कलस्टरों के लिए घटकों का निर्धारण कर लिए जाने के बाद रुर्बन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए निर्धारित परियोजना घटकों के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोर्ट तैयार की जाएगी।

अधिकार प्राप्त समितियांः सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार–प्राप्त समिति का गठन राष्ट्रीय मिशन निदेशालय में किया जाएगा जो राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को अनुमोदित करेगी और कलस्टर के लिए सीजीएफ को अनुमोदित करेगी तथा इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए अन्य केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्णय एवं उपाय करेगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई राज्य–स्तरीय अधिकार–प्राप्त समिति (एसएलईसी) आईसीएपी की सिफारिश/अनुमोदन करेगी। डीपीआर योजना के क्रियान्वयन और प्रभावी समन्वयन के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी इसी समिति की होगी। संबंधित लाइन विभागों के अधिकारियों तथा संबंधित ग्राम–पंचायतों के सरपंचों को मिलाकर जिला–स्तरीय समिति गठित की जाएगी।

अब तक की प्रगतिः मिशन के पहले चरण में मंत्रालय ने राज्यों को 100 कलस्टर आवंटित किए हैं। सभी राज्यों को प्रत्येक कलस्टर के लिए 35 लाख रुपये रिलीज कर दिए गए हैं ताकि समायोजित कलस्टर कार्ययोजना शुरू हो सके। राज्यों ने मानकों के अनुसार कलस्टरों का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक 96 कलस्टरों का अनुमोदन किया जा चुका है।

चुनौतियांः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि रुर्बन कलस्टर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका अवसरों, आधुनिक सुविधाओं और बेहतर जीवन जीने के साधनों की कमियों को पूरा करने की व्यूहरचना है। इससे न केवल ग्रामीण जीवन में सुधार आएगा बल्कि गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन भी कम होगा।

लेकिन इस कार्यक्रम के सामने कुछ चुनौतियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो कही ऐसा न हो कि यह 'पूरा' अर्थात गांव में शहरी सुविधाएं कार्यक्रम का तीसरा वर्ज़न साबित हो।

1. राज्य, जिला एवं कलस्टर–स्तर पर वांछनीय संस्थागत ढांचा गठित करने की जरूरत है क्योंकि अगर वांछनीय ढांचा नहीं होगा तो इस योजना जिसकी प्रकृति 'इनोवेटिव' है, वह खो जाएगी और यह भी एक अन्य स्कीम की तरह बनकर रह जाएगी।
2. जमीनी–स्तर पर इस मिशन के बारे में जागरुकता पैदा करने एवं विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करने की जरूरत है क्योंकि बिना मिशन के उद्देश्यों को जाने–समझे, मनन किए इसके लिए कार्ययोजना बनाना सही साबित नहीं होगा।
3. मिशन का मूलमंत्र 'कन्वर्जेंस' है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्वर्जेंस से मिशन के उद्देश्यों के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे और क्रियान्वयन भी प्रभावी होगा। लेकिन अब तक के अनुभव बनाते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर यह तरीका सफल नहीं हुआ है। एक विभाग दूसरे विभाग के साथ तालमेल नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि अपनी–अपनी डफली व अपना–अपना राग अलापते रहे। अगर ऐसा होगा

शेष पृष्ठ 47 पर...

याद करो कुर्बानी
आज़ादी की कहानी
किताबों की ज़ुबानी
प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी
WHO'S WHO OF INDIAN MARTYRS
Vol. I
REMEMBER US ONCE IN A WHILE.....
KHUDIRAM BOSE
Revolutionary Extraordinaire
Satyagraha
महिलाएं और स्वराज्य
अपनी प्रति सुरक्षित कराने के लिए businesswng@gmail.com, 011-24365609/24367260 पर संपर्क करें।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

—विश्वदीप सिंह

इस योजना में हर सांसद एक गांव गोद लेगा, फिर उसे आदर्श ग्राम बनाने का प्रयास करेगा। इसके पीछे यह स्वीकारोक्ति है कि अकेले सरकार सभी गांवों का विकास नहीं कर सकती, जिनकी संख्या 6 लाख से अधिक है। अतः यह बेहतर होगा कि कुछ गांवों का विकास करके आदर्श गांव बनाया जाए, फिर बाकी गांवों को उसका अनुसरण करने को प्रेरित किया जाए। इस तरह कुछ हजार गांवों को 'आदर्श ग्राम' बना देने से बाकी गांवों में भी प्रतिस्प्रर्धा का भाव जगेगा, वे भी अपने गांव को 'आदर्श गांव' बनाने का प्रयास करेंगे।

गांधी जी कहा करते थे कि ''भारत गांवों में बसता है।''.... यह बिल्कुल सच है कि आजादी के सत्तर साल बाद आज भी, हमारी दो तिहाई आबादी गांवों में बसती है। गांधी जी का सपना ऐसे गांवों का था, जहां स्वराज (अपना राज), सुराज (अच्छे शासन) में परिवर्तित हो जाए।

1937 में 'हरिजन' के अंक में लिखते हुए गांधी जी ने अपने आदर्श गांव का खाका खींचा था – ''जहां स्वच्छता हो। गली सड़कें धूल–धक्कड़ से मुक्त हों। .... चरागाह हों, सहकारी डेयरी हो और स्कूल हों जिनमें औद्योगिक शिक्षा पर बल दिया जाए .... लड़ाई– झगड़े पंचायत के माध्यम से सुलझाए जाएं।''

महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों से प्रेरित, भारत सरकार ने गांवों के विकास के लिए एक अनूठी योजना 11 अक्टूबर, 2014 को आरंभ की । अनूठी इस मायने में कि यह केवल गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई सामाजिक मूल्यों पर भी बल देती है, जैसे कि लोगों की भागीदारी, महिलाओं का सम्मान, आपसी सहयोग, आत्मनिर्भरता आदि। अनूठापन इसके नाम में भी है। भारत में शायद पहली बार संसद के नाम पर किसी योजना का नामकरण किया गया है– 'सांसद आदर्श ग्राम योजना'।

इस योजना को लांच करते समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि ''हमारे विकास मॉडल की एक बड़ी समस्या है कि यह आपूर्ति आधारित है। योजनाएं दिल्ली, लखनऊ या गांधीनगर में बनती हैं। फिर उन्हें लोगों पर थोप दिया जाता है। हम इसे बदलना चाहते हैं– आदर्श ग्रामों के जरिए योजनाओं को आपूर्ति के बजाय मांग आधारित बनाना चाहते हैं। खुद गांव से ही विकास की मांग उठनी चाहिए।''

अन्य सरकारी योजनाओं की भांति एसएजीवाई लोगों को लाभार्थी व सरकार को दाता नहीं बनाती। बल्कि यह सरकार और लोगों को साथ लाती है मिलकर विकास करने को। यह लोगों को अवसर और दिशा

प्रदान करती है जिसके बाद लोग खुद अपना मार्ग बनाते हैं।

इस आलेख में हम इस योजना के विविध पहलुओं और उपस्थित चुनौतियों पर विचार करेंगे।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की रूपरेखा

सांसद इस योजना का मूल आधार हैं। विकास के लिए ग्राम पंचायत को एक इकाई माना जाएगा। मैदानी इलाकों में 3 से 5 हजार व पहाड़ी इलाकों में 1 से 3 हजार की आबादी वाले गांवों (ग्राम पंचायतों) को शामिल किया जाएगा।

एसजीएवाई के जरिए समग्र विकास

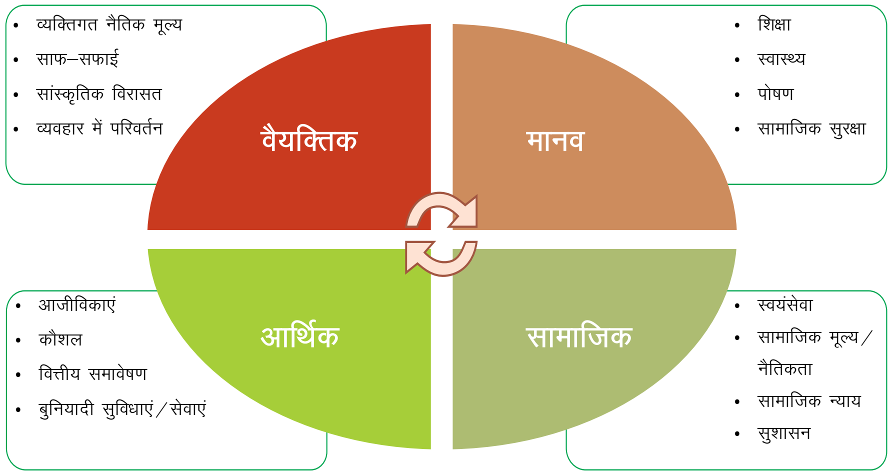

लोकसभा के सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में से किसी एक गांव (ग्राम पंचायत) को चुनेंगे। यदि किसी सांसद का निर्वाचन क्षेत्र शहरी है, तो वे किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र का कोई गांव गोद लेंगे। राज्यसभा के सांसद उस प्रदेश का कोई गांव चुन सकते हैं जिस प्रदेश से वे निर्वाचित हैं। तथा राज्यसभा के मनोनीत सांसद देश के किसी भी गांव को चुन सकते हैं।

लक्ष्य यह है कि 2016 के आखिर तक हर सांसद एक गांव का विकास करे और उसके बाद मार्च 2019 तक दो और गांवों का। इस तरह 2019 तक हर सांसद तीन गांवों को आदर्श गांव बनाएगा। उसके बाद अगले पांच वर्षों में 2024 तक, हर साल एक गांव का विकास किया जाएगा।

उपरोक्त के आधार पर हिसाब लगाएं तो वर्तमान में कुल 793 सांसद हैं। (543 लोकसभा के. 250 राज्यसभा के जिनमें 12 नाम निर्देशित हैं)। यदि हर सांसद तीन गांवों का विकास करे तो 2019 तक 2379 आदर्श गांव बन जाएंगे जोकि बाकी गांवों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे।

आदर्श ग्रामों के लिए फंडिंग

एसएजीवाई के लिए अलग से फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें विकास कार्यों के लिए धन निम्न प्रकार से जुटाया जाएगा–

1. ग्राम पंचायत का अपना राजस्व,
2. केन्द्र व राज्य वित्त आयोग से पंचायत को मिला अनुदान
3. केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का धन, जैसे – इंदिरा आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना आदि
4. 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि' (एमपीलैंड) का धन
5. 'कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदारी' से मिला धन

कैसा होगा ये आदर्श ग्राम?

इसमें 'स्मार्ट स्कूल' होंगे, सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, पक्के घर होंगे, सभी के लिए आधार कार्ड व ई–गवर्नेंस होगा। कुल मिलाकर इस आदर्श गांव में समग्र विकास होगा। वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक सभी जिसे चित्र में दिखाया गया है।

इस मॉडल गांव में हर परिवार को गरीबी से बाहर निकालने पर मुख्य जोर होगा। हर घर में शौचालय होगा, स्वच्छता होगी। बिजली, पानी, सड़क और ब्राडबैंड होगा। नशाखोरी और महिलाओं के साथ भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास किया जाएगा।

एक गांव को आदर्श कैसे बनाया जाएगा?

एसएजीवाई के अंतर्गत हर गांव के लिए एक ग्राम विकास प्लान बनाया जाएगा जिसमें हर परिवार को गरीबी से बाहर निकालने पर मुख्य जोर होगा। सांसद गांव के लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। जिले का कलेक्टर भी इन प्लानों को तैयार करने में सहयोग देगा। वही इस योजना के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करेगा। यह प्रभारी अधिकारी जिले में एसएजीवाई का समन्वय करेगा।

इसके अलावा सांसद गांव में ही बहुत–सी गतिविधियों को प्रेरित करेंगे जैसे हैल्थ कैम्प लगाना, लोगों की शिकायतों का निस्तारण, समुदाय को भागीदारी के लिए प्रेरित करना आदि। इसमें शराबखोरी, तम्बाकू–गुटखा के सेवन के विरुद्ध अभियान

भी चलाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों के जरिए जमीनी लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा व निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास होंगे। इसके लिए महिला सभा व बालसभा गठित की जाएंगी। प्रौढ़ साक्षरता, ई–साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा व नई पीढ़ी को पर्यावरण, शहीदों व बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाने की सीख दी जाएगी।

सांस्कृतिक रूप से भी गांव में लोक उत्सवों, लोककलाओं, गीतों को बढ़ावा दिया जाएगा व नौजवानों को साफ–सफाई का ध्यान रखने व रोज आधा घंटा कसरत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। गांव में स्मार्ट स्कूल होंगे जिनमें इंटरनेट व कम्प्यूटर की मदद से पढ़ाई की जाएगी, ई–लाइब्रेरी खोली जाएंगी।

उपरोक्त सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी मौजूदा योजनाओं में प्रभावी तालमेल बैठाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इन योजनाओं में एसएजीवाई के अनुरूप फेरबदल भी किया जाएगा। आधुनिक तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जाएगा, जैसे गांव में खेती के विकास के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का प्रयोग।

राष्ट्रीय–स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय होगा और सभी कामों का समन्वय व निगरानी करेगा। मंत्रालय इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए क्षमता निर्माण पर जोर देगा। इस योजना को लागू करने के लिए एक हैंडबुक बनायी जाएगी, सांसदों को भी वर्कशापों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण मिलेगा ताकि वे अपने दायित्वों को ठीक से निभा सकें।

राज्य–स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें सभी संबंधित विभाग शामिल होंगे। प्रोत्साहन के लिए चार पुरस्कार भी देने का प्रावधान किया गया है–

1. सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिसिस
2. सर्वश्रेष्ठ प्रभारी अधिकारी
3. सर्वश्रेष्ठ जिला कलेक्टर
4. सर्वश्रेष्ठ आद्रर्श ग्राम

एक सफल कहानी

झारखण्ड में पूर्वी सिंहभूमि के सांसद श्री विद्युत बरन महतो ने वांगुरदा ग्राम पंचायत को गोद लिया। उन्होंने देखा कि वहां किशोरियों द्वारा स्वास्थ्य और स्वच्छता की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा था। वहां महिलाएं एनीमिया (खून की कमी) से ग्रसित थीं तथा और भी कई बीमारियां फैली हुई थीं।

अतः सांसद महोदय ने किशोरियों के लिए विशेष स्वास्थ्य कैंप लगवाए। करीब 188 लड़कियों की स्क्रीनिंग की गई। उनमें अनेक को स्त्री रोग संबंधी शिकायतें पायी गई जिनको वे अब तक अज्ञानतावश और रुढ़िबादी समाज के सामने छिपा रही थीं।यह भी पाया गया कि ज्यादातर बीमारियां अस्वच्छ जीवनशैली और गंदे परिवेश के कारण थीं। अतः वहां महिलाओं और किशोरियों में इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

एसएजीवाई की समीक्षाः इस योजना का फेज–1 2014 में शुरु हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर गांव को गोद लिया। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने रायबरेली के उडवा गांव को गोद लिया। अन्य सांसदों की प्रतिक्रिया भी उत्साहजनक थी। पश्चिम बंगाल के सांसदों के अलावा लगभग सभी ने गांव गोद लिए।

प्रधानमंत्री जी ने अपने गोद लिए गांव में आधारभूत ढ़ांचा बढ़ाने और बेटी का जन्म होने पर खुशियां मनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने गांव का जन्मदिन मनाने की बात भी कही ताकि जाति प्रथा को समाप्त किया जा सके।

लेकिन एसएजीवाई का फेज–2 शुरु होने तक यह योजना शिथिल पड़ गयी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार फेज–2 में केवल 116 गांव गोद लिए गए हैं, जबकि फेज–1 में यह संख्या 702 थीं।

फेज–2 में हुए इस निराशाजनक प्रदर्शन के निम्न कारण हैं–

1. सांसदों की शिकायत है कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने उचित फंडिंग की व्यवस्था नहीं की है। एसएजीवाई के लिए अलग से फंड नहीं मिलता नतीजन आदर्श गांव बनाने के लिए उन्हें अपने एमपीलैंड (सांसद क्षेत्रीय विकास निधि) में से खर्च करना पड़ता है। एक आदर्श गांव के लिए करीब 2 करोड़ खर्च आता है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में 233 सरकारी योजनाएं हैं जिनका प्रयोग गांवों के विकास के लिए किया जा सकता है। लेकिन बहुत से सांसदों को उनकी जानकारी नहीं है। अतः आवश्यकता है कि सांसदों को सही सूचना उपलब्ध करायी जाए।
2. कॉरपोरेट सोशल दायित्व से भी धन की प्राप्ति उत्साहजनक नहीं रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय औद्योगिक निकायों की एक बैठक बुला रहा है जिससे उन्हें अपने कॉरपोरेट सोशल दायित्व का पैसा इस योजना में लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

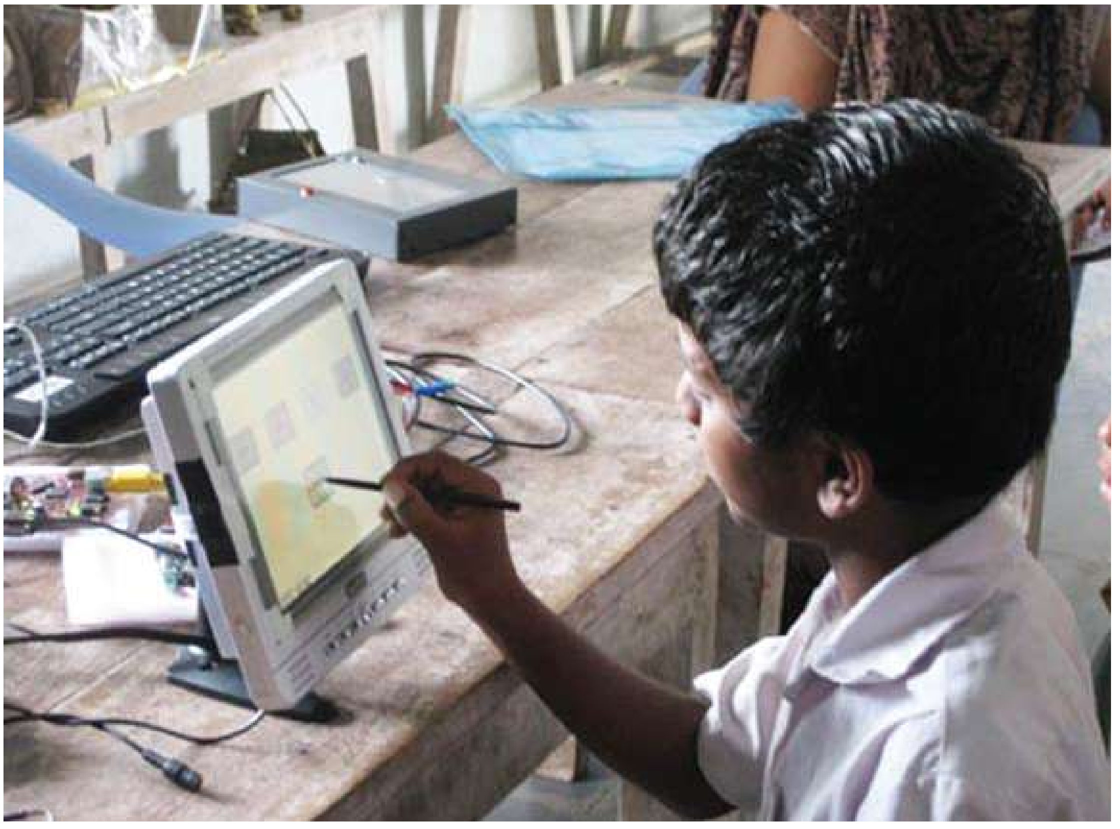

3. दूसरा मुद्दा गांव के चयन का है। नियमों के अनुसार सांसद अपने क्षेत्र का कोई भी गांव चुन सकते हैं (केवल अपने गांव और अपनी ससुराल के गांव को छोड़कर)। इससे दुविधा पैदा होती है। यदि सांसद एक गांव को गोद लेकर विकास कार्य कराए तो दूसरे गांव वाले नाराज हो सकते हैं और इस नाराजगी का खामियाजा सांसद को अगले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। इस समस्या का हल लोगों से बेहतर संवाद स्थापित करके किया जा सकता है। यदि सांसद उन्हें इस योजना का महत्व और आवश्यकता समझाने में सफल हो जाते हैं तो उनका चुनावी जोखिम कम हो जाएगा।
4. जिन सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र शहरी हैं, उन्हें किसी दूसरे क्षेत्र के गांव को गोद लेना पड़ता है। वे ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि तब उन्हें अपने एमपीलैंड का पैसा किसी दूसरे के निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करना पड़ेगा।
5. चूंकि इस योजना का अलग बजट नहीं है, अतः इस योजना की सफलता के लिए जरुरी है कि सांसद केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विकास योजनाओं में तालमेल बैठाएं जैसे– आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व अनेक राज्य की योजनाएं यह एक कठिन काम है। तब और भी कठिन हो जाता है जब केन्द्र व राज्य में अलग सरकारें हों तथा मुख्यमंत्री और सांसद अलग–अलग पार्टी के हों।
6. एसएजीवाई के जरिए कुछ हजार गांव आदर्श बना दिए जाएंगे लेकिन भारत में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। क्या इन गांवों का इतना व्यापक प्रभाव हो पाएगा कि इन सभी बचे गांवों को स्वयं 'स्मार्ट गांव' बनने के लिए प्रेरित कर सकें?
7. इस योजना की सफलता न केवल सांसद के नेतृत्व और मार्गदर्शन पर निर्भर करेगी, बल्कि ग्राम–स्तर पर स्थानीय नेताओं, समुदाय के सम्मानित सदस्यों, पंचायतों और सिविल समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः इन सभी को उचित प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

इस योजना के पीछे का मूल विचार सराहनीय है। यह विचार कहता है कि ग्रामीण समुदाय स्वयं आगे आकर अपना विकास करें। अपनी तरक्की की राह खुद बनाएं। हर काम के लिए सरकार का मुंह न ताके।

पहले भारतीय गांवों में लोग बहुत–सा काम खुद मिल जुलकर कर लिया करते थे जैसे– तालाब की खुदाई। आज आवश्यकता है कि उस सहकारिता और आपसी भागीदारी की पुरानी भावना को फिर से जीवित किया जाए और भारतीय गांवों को तरक्की की राह पर आगे बढ़ने को प्रेरित किया जाए। एसएजीवाई इस दिशा में एक सही प्रयास है।

(लेखक आईटी विशेषज्ञ हैं और सामाजिक – प्रशासनिक विषयों पर लिखते हैं।)
ई–मेलः vishuindia@yahoo.co.in

जगमग होगा हर एक गांव

—सविता कुमारी

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनायी गई है। यह योजना नवम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि ''1000 दिनों के अंदर यानी 1 मई, 2018 तक 18452 अविद्युतीकृत गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।'' यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। डीडीयूजीजेवाई से ग्रामीण परिवारों को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन एक नई खोज हो रही है। नई तकनीक के द्वारा ग्रामीण भारत तरक्की की राह पर अग्रसर है। सरकार की ओर से भी इस दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सभी के संयुक्त प्रयास से जहां तकनीकी विकास हो रहा है वहीं ग्रामीणों को नई खोज को दिशा भी मिल रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों में नई खोज की जरूरत है। हालांकि इन क्षेत्रों में लगातार नई–नई तकनीक अपनाई जा रही हैं, जिसके कारण ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलती नजर आ रही है।

ग्रामीण भारत में अभी भी विद्युत की मूलभूत आवश्यकता पूरी ही नहीं हो रही है। कई गांव अभी तक बिना बिजली के ही हैं। कई गांवों में तो यह भी देखा जाता है कि बिजली के खंभे की जगह बांस का उपयोग किया जा रहा है। अगर किसी गांव में बिजली की पहुंच है भी तो कुछ–न–कुछ गड़बड़ी रहती ही है। आजादी के 70 वर्ष बाद भी देश के हजारों गांव अभी भी बिजली की पहुंच से दूर हैं।

आज बिजली के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। बिजली के बिना किसी भी विकास कार्यक्रमों की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिजली अब हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा सिंचाई के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने देश के ग्रामीण इलाकों तक बिजली पहुंचाने के लिए एक

योजना ''राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना'' बनाई थी। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) या की शुरूआत 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आवासों को बिजली उपलब्ध कराना था। योजना के लिए 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा और 10 प्रतिशत राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी ग्रामीण परिवारों के लिए है। इस योजना के तहत सवा लाख ऐसे गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य था, जो अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके अलावा देश के 2 करोड़ 30 लाख घरों में बिजली के कनेक्शन देना भी इसका लक्ष्य था। इसके तहत सबसे पहले ऐसे गांवों में बिजली दिए जाने का प्रावधान था, जहां अभी तक बिजली नहीं है। इसके बाद दलित बस्तियों, आदिवासी बसाहटों तथा कमजोर वर्गों के मोहल्लों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा पूंजीगत खरीदी पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। सभी ग्रामीण बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के घरों में बिजली पहुंचाने के लिए शत–प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी तथा हर कनेक्शन पर 1500 रु. की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अन्य लोग निर्धारित दर पर कनेक्शन के लिए भुगतान करेंगे तथा उन्हें कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। अब इस योजना का स्थान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ने ले लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जुलाई,2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) की शुरुआत की। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर–कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर–कृषि फीडर सुविधाओं को अलग–अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उपपारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिसमें वितरण ट्रांसफॉर्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा। योजना का कुल परिव्यय 76000 करोड़ रुपये है। इसमें से केन्द्र सरकार 63000 करोड़ रु. का अनुदान देगी। अगस्त 2013 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित शेष कार्य के लिए वर्तमान में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत चल रहे कार्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अगस्त 2016 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित शेष कार्य के लिए वर्तमान में 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत आरजीजीवीवाई के चल रहे कार्यों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस कार्य के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 39275 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी है, जिसमें 35477 करोड़ रुपये की बजट सहायता भी शामिल है। 43033 करोड़ रु. के कुल प्रावधान के अतिरिक्त परिव्यय राशि भी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में सम्मिलित की जाएगी।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण की अवधि में सुधार होगा। इसके साथ ही अधिक मांग के समय में लोड में कमी, उपभोक्ताओं को मीटर के अनुसार खपत पर आधारित बिजली बिल में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अधिक सुविधा दी जा सकेगी।

परियोजनाओं को अनुमति देने की प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारम्भ होगी। अनुमति मिलने के बाद परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों की वितरण कंपनियों और वितरण विभाग को ठेके दिए जाएंगे। ठेके देने की अवधि से 24 महीने के अंदर परियोजनाओं को पूरा किया जाना जरूरी है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) पूरे ग्रामीण भारत को निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनायी गई है। यह योजना नवम्बर, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस घोषणा के साथ शुरू की गई थी कि ''सरकार ने 1000 दिनों के अंदर यानी 1 मई, 2018 तक 18452 अविद्युतीकृत गांवों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।'' यह भारत सरकार की प्रमुख पहलों में से एक है और विद्युत मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। डीडीयूजीजेवाई से ग्रामीण परिवारों को काफी फायदा हो सकता है क्योंकि बिजली देश की वृद्धि और विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

यह योजना मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को प्रतिस्थापित करेगी, लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की सुविधाओं को डीडीयूजीजेवाई की नई योजना में सम्मिलित किया गया है और आरजीजीवीवाई योजना की खर्च नहीं की गई राशि को डीडीयूजीजेवाई में शामिल किया जाएगा। यह योजना विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बिजली की 24x7 आपूर्ति की सुविधा को सुगम बनाएगी।

इस योजना के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर–कृषि उपभोक्ताओं की आपूर्ति को विवेकपूर्ण तरीके से बहाल करने की सुविधा हेतु कृषि और गैर–कृषि फीडरों का पृथक्करण।
2. **उप–ट्रांसमिशन व वितरण नेटवर्क की मजबूती :** ग्रामीण क्षेत्रों

में ट्रांसफार्मर/फीडरों/ उपभोक्ताओं की आवश्यतानुसार उप–पारेषण और वितरण की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं आवर्द्धन।

3. **माइक्रो ग्रिड व ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क** : राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पहले से ही मंजूर माइक्रो ग्रिड, ऑफ ग्रिड वितरण नेटवर्क एवं ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को पूरा किया जाना।

मुख्य विशेषताएं

- मौजूदा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को डीडीयूजीजेवाई में समाहित किया गया है।
- सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।
- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी।

नोडल एजेंसी की भूमिका

- नोडल एजेंसी को उनकी फीस के रूप में निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत का 0.5 प्रतिशत या अवार्ड खर्च, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा।
- समय–समय पर इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सभी दिशा–निर्देशों और स्वरूपों को अधिसूचित करना।
- निगरानी समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व (डीपीआर) का मूल्यांकन करना।
- मंजूरी के लिए निगरानी समिति की बैठकों का आयोजन करने के लिए संबंधित सभी काम संचालित करना।

अनुदान घटक का प्रशासन

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्तुतीकरण और परियोजनाओं के एमआईएस को संधारित करने के लिए एक समर्पित वेबपोर्टल का विकास।
- कार्यों की गुणवत्ता सहित परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी।

योजना के लाभ

- सभी गांवों और घरों का विद्युतीकरण।
- कृषि उपज में वृद्धि।
- छोटे और घरेलू उद्यमों के विकास के परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसर।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग (एटीएम) सेवाओं में सुधार।
- रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, इंटरनेट और मोबाइल की पहुंच में सुधार।
- बिजली की उपलब्धता के कारण सामाजिक सुरक्षा में सुधार।
- स्कूलों, पंचायतों, अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों में बिजली की पहुंच।
- ग्रामीण क्षेत्रों को व्यापक विकास के बढ़े अवसरों की प्राप्ति होगी।

बजटीय सहायता

डीडीयूजीजेवाई में 43033 करोड़ रूपये का निवेश होगा, जिसमें से पूरी कार्यान्वयन अवधि में भारत सरकार से 33453 करोड़ रु. के बजटीय समर्थन की आवश्यकता शामिल है। इस योजना के तहत प्राइवेट डिस्कॉम और राज्य के विद्युत विभागों सहित सभी डिस्कॉम वित्तीय सहायता के पात्र हैं। डिस्कॉम ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट नेटवर्क की आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे और योजना के तहत कवरेज के लिए परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी है। यह विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस योजना के कार्यान्वयन पर

वित्तीय और भौतिक दोनों प्रगति को दर्शाते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

निगरानी समिति

सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में निगरानी समिति परियोजनाओं को मंजूरी देगी और इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। योजना के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार इस योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते को निष्पादित किया जाएगा। राज्य विद्युत विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते को निष्पादित किया जाएगा।

निष्पादन की अवधि

इस योजना के तहत परियोजनाओं को कार्यपत्र जारी होने की तारीख से 24 महीने की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

अद्यतन स्थिति

परियोजना को मिशन मोड के आधार पर लिया गया है और विद्युतीकरण के लिए रणनीति में कार्यान्वयन सारणी को 12 महीने की समय–सीमा में सीमित करना एवं ग्राम विद्युतीकरण प्रक्रिया को निगरानी के लिए निर्धारित समय–सीमा को 12 चरणों में विभाजित किया गया है।

अप्रैल,2015 से 14 अगस्त,2015 तक कुल 1654 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और भारत सरकार द्वारा मिशन मोड रूप में पहल करने के बाद 15 अगस्त,2015 से 17 अप्रैल,2016 तक 5689 अतिरिक्त गांवों को विद्युतीकृत किया गया। अब तक 10 हजार से अधिक गांवों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। प्रगति में और तेजी लाने के लिए ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) के माध्यम से करीबी निगरानी की जा रही है एवं मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा, योजना और निगरानी (आरपीएम) की बैठक, राज्य डिस्कॉम के साथ विद्युतीकृत के स्तर गांवों की सूची साझा करना, ऐसे गांवों की पहचान करना जहां प्रगति में देरी हो रही है आदि विभिन्न कदम नियमित आधार पर उठाए जा रहे हैं।

30 जून, .2016 तक के कुल लक्ष्य को 99 प्रतिशत तक प्राप्त किया जा चुका है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत जून,2016 तक 108742.31 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें से 42692.40 करोड़ रु. लगभग 39 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है। अगर इसी रफ्तार से दीन दयालउपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का सफल संचालन चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश का हर एक गांव जगमग होगा।

(लेखिका स्वतंत्र प्रत्रकार हैं।)

ई–मेलः savitakumari470@yahoo.com

पेज 38 का शेष...

तो मिशन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा चूंकि इस कार्य का आधार ही कन्वर्जेंस है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों की सोच बदलने की जरुरत है। उनमें सामाजिक पूंजी विकसित करने हेतु जागरुकता की जरूरत है।

4. पंचायतों की मिशन को लागू करने में अहम भूमिका है। लेकिन पंचायतों की स्थिति दयनीय है। पंचायतों को कार्यात्मक, वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टि से सशक्त करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यह कार्यक्रम भी नौकरशाही उन्मुख होगा और नतीजा अप्रभावी क्रियान्वयन। सभी राज्यों में जिला नियोजन समिति गठित नहीं हुई हैं। लगभग 14 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के पास कार्यालय भवन नहीं हैं। यही नहीं अन्य सुविधाएं जैसे टेलीफोन, इंटरनेट भी पंचायतों के पास नहीं हैं। अतः पंचायतों को सशक्त करने की जरूरत है।
5. स्थानीय योजना मिशन का महत्वपूर्ण घटक है इसके लिए कलस्टर के क्षेत्र को योजना क्षेत्र घोषित करना है। इसके लिए उचित विधिवत अधिसूचित किए जाने वाले या योजना मानदंडों के लिए प्रावधान करना जरूरी है। इसके लिए उचित अधिनियमों का या अधिसूचना जारी करने का प्रावधान करना जरूरी है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं एवं बेहतर आजीविका अमल में लाकर ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। अगर इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से होगा तो अवश्य ही यह मिशन कलस्टर के गावों को "स्मार्ट गांव" बनाने में सफल होगा। ऐसा हो, इसके लिए इस कार्यक्रम से सम्बन्धित ऊपर दी गई चुनौतियों पर ध्यान देने की जरूरत है।

(लेखक भारतीय आर्थिक सेवा (सेवानिवृत्त) से सम्बन्धित हैं। वर्तमान में स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली में विजिटिंग फैक्ल्टी है व मंगलायटन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के बिजनेस मैनेजमेंट संस्थान में प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल– mpal661@gmail.com

अंगुल मॉडल : खुले में शौच मुक्त गांव बनाने की अनूठी पहल

—शुभम वर्मा

खुले में शौच मुक्त भारत बनाने की स्वच्छ भारत अभियान की मुहीम देशभर में चल रही है और देशभर में कई अनूठे प्रयोग इस दिशा में हो रहे हैं। इसी कड़ी में ओड़िसा के अंगुल जिले की अंगुल तालुका में कुशल नेतृत्व तथा जन भागीदारी का एक अनूठा उदाहरण सामने आया, जिसमे सदियों से चल रही खुले में शौच करने की परंपरा को बदल कर रख दिया तथा कई गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया। इसमें अधिकारी, गैर-सरकारी संगठन तथा ग्रामीण जनता, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। यह सब कुछ संभव हुआ एक कुशल नेतृत्व के कारण और समाज के लिए कुछ कर दिखाने की सोच के कारण।

सचिन जाधव, यह नाम है उस व्यक्ति का जिसने नामुमकिन से दिखने वाले इस कार्य को कर दिखाया। जब सचिन जाधव कलेक्टर के रूप में कोरापुट जिले से स्थानांतरित होकर अंगुल जिले में पहुंचे तब वहां के हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ से औद्योगिक क्षेत्र से घिरे होने के बाद भी अंगुल में बहुत गरीबी थी तथा गांव में लोग खुले में शौच कर रहे थे। कलेक्टर होने के बाद भी सचिन जाधव ने, जिनके पास पहले से जिले के कई काम थे, इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया। उनका मानना था कि यदि गांव में शौचालय बन जाएं तो गरीबों के मन में भी एक सम्मान का भाव जागेगा तथा खुले में शौच खत्म होने के साथ–साथ गांववालों में, गांव को साफ रखने की भावना भी जाग्रत होगी तथा इस कार्य के बहाने गांववालों को यदि एकजुट किया जा सके तो इसके बाद उन सबको कुपोषण, स्वरोजगार आदि मुहिमों से भी जोड़ा जा सकता है। यह सोचकर इन्होंने इस कार्य को करना प्रारंभ किया।

ओड़िसा की प्रथम, 'खुले में शौच' मुक्त ग्राम पंचायत।

शुरू में सरकारी विभाग के कई अफसरों ने इस काम को करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई तथा गांव वाले भी सदियों पुरानी खुले में शौच की प्रथा को त्यागने को तैयार नहीं थे। कई सारे विभाग आपस में समन्वय नहीं बैठा पा रहे थे, तथा कलेक्टर के मन में भी यह था कि इसे कैसे किया जाए। तब उन्होंने निर्णय किया कि यह शौचालय मुक्त ग्राम की परिकल्पना तभी सच हो सकती है जब इससे जुड़े सभी लोग एक साथ मिलकर काम करें। इसके लिए इन्होने जिला प्रशासन, पंचायती राज प्रशासन, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, फीडबैक फाउंडेशन एवं स्थानीय समुदाय की एक बैठक बुलाई।

इस बैठक में तय किया गया कि इन सभी की मिलकर एक टीम का गठन किया जाएगा, जिसकी

स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियां

- इस अभियान का पहला चरण स्वच्छ विद्यालय पर केंद्रित था जिसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई
- चरण I में 2 लाख 61 हजार 400 विद्यालयों में 4 लाख 17 हजार 796 शौचालय बन चुके हैं।
- चरण II में सभी गांवों को खुले में शौच करने से मुक्ति दिलाने का अभियान चल रहा है। साथ ही सभी शहरों और सभी गांवों में स्वच्छता अपनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है।
- चरण II में 54 हजार 732 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।

अध्यक्षता स्वयं कलेक्टर करेंगे तथा फीडबैक फाउंडेशन समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनकी सोच को बदलने का कार्य करेगी जिसमें कई तरह के उपायों के द्वारा लोगों की खुले में शौच जाने की आदत को बदला जाएगा। पंचायती राज विभाग तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, एक साथ मिलकर अपने विभाग का काम करेंगे जिसमे पैसा मुहैया कराना तथा शौचालय निर्माण के तकनीकी पक्ष को देखना शामिल था। इसके अलावा सबसे अच्छा काम यह किया गया कि स्थानीय समुदाय को भी इसमें जोड़ा गया। इनकी कई समितियां हर ग्राम पंचायत में बनायी गई जिनमें निगरानी समिति, सामान खरीद समिति, जन–जागरुकता समिति आदि शामिल थी।

इंजीनियर, अधिकारियों तथा सरपंचों के क्षमता विकास के प्रशिक्षण करवाए गए। इसके बाद सभी युद्ध–स्तर पर एक साथ काम में जुट गए तथा जिन गांवों ने सदियों से शौचालय नहीं देखे थे, वहां शौचालय बनाने का कार्य शुरू हो गया और अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की मोदी जी के पहल के साथ ही इन सभी ने भी अपना काम शुरू कर दिया और जून 2015 तक, 9 महीने के अन्दर ही इन्होंने अंगुल ब्लॉक के 110 गांवों को खुले में शौच मुक्त कर दिखाया।

इस काम के प्रति इन लोगों के जूनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर, पंचायत अधिकारी तथा फीडबैक फाउंडेशन के प्रतिनिधि खुद सुबह 4 बजे से उठकर गांव में निगरानी के लिए जाते थे तथा खुले में शौच करने वालों से राख डालने की अपील करते थे तथा बाद में सभी को शौचालय बनवाने की अपील करते थे। निगरानी समिति सुबह से लोगों को खुले में शौच ना जाने के लिए समझाती थी तथा दिन में फीडबैक फाउंडेशन द्वारा गांववालों को विलेज मैपिंग तकनीक द्वारा एकजुट करके समझाया जाता था कि खुले में शौच से क्या–क्या बीमारियां फैलती हैं एवं महिलाओं के लिए खुले में जाना एक अपमानजनक प्रक्रिया है जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, इसी में यह भी बताया जाता था कि किस तरह खुले में जाने से सांप, बिच्छू आदि के काटने का खतरा रहता है।

इस तरह धीरे–धीरे गांव वालों की सोच बदलती चली गई तथा गांव के लोग खुद शौचालय बनवाने की मांग करने लगे। अब बारी आई सामान खरीदने वाली समिति की जिसने सारे गांव का सामान इकठ्ठा खरीदना शुरू किया जिससे जितने पैसे लगने थे, उससे भी कम पैसों में सामान आ गया। गांव के कुछ लोगों ने खुद मेसन का प्रशिक्षण किया तथा स्वयं शौचालय बनाने में सहयोग भी दिया। यही नहीं बचे हुए पैसे से इन्होंने उन लोगों के घर के शौचालय भी बना दिए जो किसी कारणवश योजना में नहीं आ पाए थे। इस तरह सभी की एकजुटता के कारण अंगुल ब्लॉक में 110 गांव खुले में शौच से मुक्त हो पाए।

कलेक्टर सचिन जाधव इन सबको याद करते हुए कहते हैं कि "जरुरत है लोगों की सोच बदलने की और एकजुट होकर देश के लिए तथा समाज के लिए काम करने की, यदि यह दो चीजे हो जाएं तो देश बदल जाएगा। आज हमारी बनायी हुई समितियां शौचालय बनने के बाद गांव में कुपोषण तथा महिला शिक्षा में सुधार के लिए कार्य कर रही हैं। जरुरत थी उनमें कुछ करने की ललक जगाने की जो हमने जगा दी, बाकी का काम समुदाय खुद कर लेता है।"

इस तरह अंगुल मॉडल में सरकार, गैर–सरकारी संगठन तथा स्थानीय समुदाय ने मिलकर एक अनूठा प्रयोग किया और सदियों पुराने अभिशाप खुले में शौच से मुक्ति पाई। इस मॉडल की कहानी साझा करने का मकसद यही है कि इससे भारत में बाकी जगहों पर भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसी तरह यदि हर जगह एकजुटता से कार्य किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब सारा भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।

(लेखक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर से सम्बद्ध हैं और ग्रामीण विकास में शोध कर रहे हैं।)
ई–मेलः theshubhamhindi@gmail.com

राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला का लोकार्पण

प्रकाशन विभाग की राष्ट्रपति भवन पुस्तकमाला में हाल ही में पांच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. ए वर्क ऑफ ब्यूटी: द आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप ऑफ द राष्ट्रपति भवन

इस विशाल खंड में सरकारी भवन के रूप में राष्ट्रपति भवन के निर्माण से लेकर 1911 में ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण और आगे तक के समय में चारों ओर के परिदृश्य और राष्ट्रपति भवन संपदा के वास्तुकला को समेटा गया है।

2. फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक: नेचर इन द प्रेसिडेंट्स इस्टेट

फर्स्ट गार्डन ऑफ द रिपब्लिक में प्रत्येक ऋतु में राष्ट्रपति संपदा की के वनस्पति और जीवों का संकलन किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मानव ने यहां आवास की रचना और निर्माण किया और यह दर्शाया कि कैसे पौधों और जीव-जंतुओं ने अपने को इसके अनुरूप बनाते हुए राष्ट्रपति संपदा को अपना बना लिया है। इन जीवित प्राणियों तथा इनके आवास के लिए आज की चुनौतियों को इसमें शामिल किया गया है।

3. अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबल: डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग एट द राष्ट्रपति भवन

इस खंड में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन और मनोरंजन का ब्रिटिश वायसराय के समय से अब तक की परंपरा के बारे में बताया गया है। जब वायसराय को इस आलीशान डाइनिंग हॉल में फ्रेंच व्यंजन परोसा गया था, तब से लेकर गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में क्या व्यवस्था था और फिर क्रमिक रूप से कैसे पश्चिमी व्यंजनों की विदाई कर वहां भारतीय पाक शैली आई, इस का उल्लेख है। यहां किस प्रकार सावधानीपूर्वक पाक कला की योजना तैयार की जाती है, इसके उत्कृष्ट दृश्यों से पाठकों को रुबरु कराया गया है।

4. आर्ट्स एंड इंटीरियरर्स ऑफ द राष्ट्रपति भवन

इस खंड में विशाल राष्ट्रपति भवन संपदा के आलीशान आंतरिक भाग में प्रदर्शित कलाकृतियों को शामिल और चित्रित किया गया है। इसमें फर्नीचर, पेंटिंग के इतिहास और कलात्मक पक्ष के बारे में गहन चर्चा की गई है। इसमें राष्ट्रपति भवन को सुसज्जित करने वाले कपड़ों, भित्ति चित्रों और कालीनों के बारे में रोचक जानकारियों को भी शामिल किया गया है। कलाकृतियों के चित्रों के प्रदर्शन, योजनाओं की प्रतिकृति तथा विरल रूप में संग्रहित दस्तावेजों के अवलोकन से पाठक एक भव्य दुनिया में प्रवेश करता है और वह राष्ट्रपति भवन के सामान्य आंतरिक सज्जा से अवगत हो जाता है।

5. डिस्कवर द मैगनिफिशेंट वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन

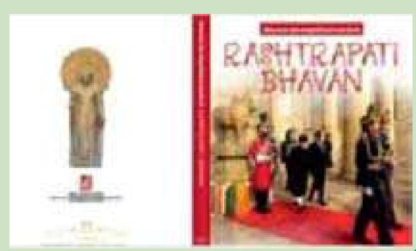

यह लघु खंड राष्ट्रपति भवन की रोचक कहानियों से बच्चों को अवगत कराने पर लक्षित है। इसमें कैसे भवन का निर्माण हुआ, यहां घटने वाली प्रमुख घटनाओं और राष्ट्र के जीवन में और वहां रहने वाले और कर्मचारियों के जीवन में इसकी भूमिका को रोचक कहानियों, आकर्षक तथ्यों और विवरणात्मक अध्यायों के जरिये बताया गया है।

भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी 25 जुलाई 2016 को 'डिस्कवर द मैगनिफिशेंट वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन' शीर्षक पुस्तक का विमोचन करते हुए और पुस्तक की पहली प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट की।

पिछले दो वर्षों में प्रकाशन विभाग ने राष्ट्रपति भवन के विविध पहलुओं पर पुस्तकों की एक श्रृंखला प्रकाशित की है ताकि लोगों को राष्ट्रपति भवन की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक विरासत से परिचित कराया जा सके। हाल ही में 25 जुलाई, 2016 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रकाशन विभाग द्वारा राष्ट्रपति भवन की सांस्कृतिक धरोहरों पर प्रकाशित पांच नई पुस्तकों का विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने इन पुस्तकों की प्रथम प्रति राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को भेंट की।

जिन पांच पुस्तकों का विमोचन किया गया, उनके शीर्षक हैं– **"अराउंड इंडियाज फर्स्ट टेबलः डाइनिंग एंड एंटरटेनिंग एट दि राष्ट्रपति भवन"; "दि आर्ट्स एंड इंटीरियरर्स ऑफ दि राष्ट्रपति भवनः लुट्यंस एंड बियांड"; "डिस्कवर दि मैगनिफिशेंट वर्ल्ड ऑफ राष्ट्रपति भवन"; "अ वर्क ऑफ ब्यूटीः दि आर्किटेक्चर एंड लैंडस्केप ऑफ दि राष्ट्रपति भवन"; तथा फर्स्ट गार्डन ऑफ दि रिपब्लिकः नेचर इन दि प्रेसीडेंट्स एस्टेट"।**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इन पुस्तकों को 'ग्रंथ' की संज्ञा देते हुए कहा कि इन पुस्तकों में वो चीजें समाहित हैं जो कल्पना के दायरे से नहीं बल्कि इतिहास के झरोखे से निकलती हैं। और वे आने वाली पीढ़ियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ के जाती हैं। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें इतिहास का हिस्सा बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस कार्य के लिए राष्ट्रपति और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी अपने–अपने संबोधनों में इन पुस्तकों के प्रकाशन के लिए राष्ट्रपति भवन की टीम और प्रकाशन विभाग की सराहना की।

प्रकाशन विभाग राष्ट्रपति भवन पर चार पुस्तकें पहले भी प्रकाशित कर चुका है जिनके शीर्षक हैं– **विंगड वंडर्स, इंद्रधनुष, राइट ऑफ दि लाइंसः दि प्रसीडेंट्स बॉडीगार्ड, अबोड अंडर दि डोम, दि प्रेसीडेंशियल रिट्रीटस ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के चुने हुए भाषणों पर तीन खंड।**

आर. एन. आई. / 708 / 57
डाक–तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)–05 / 3164 / 2015–17
आई.एस.एस.एन. 0971–8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)–54 / 2015–17
1 सितंबर 2016 को प्रकाशित एवं 5–6 सितंबर 2016 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रकाशक और मुद्रक : डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003.
मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू–30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया–II, नई दिल्ली–110020, संपादक : ललिता खुराना